

>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Finance Bill, 2010 (Under Consideration).

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now take up item no. 17. Hon. Finance Minister.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move**:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2010-2011, be taken into consideration."

The normal practice is that the Finance Bill is introduced as soon as the Budget is placed before the House. The Finance Bill was introduced on 26th of February, the last working day of February. Today, when I am speaking in this House, it is almost the end of April and in between certain developments had taken place. I will go into all those details after listening to the Members of the House who will participate in this discussion on the Finance Bill. But I would now just like to give some broad parameters of the developments which have taken place during this interregnum.

As I just moved the Finance Bill, 2010 for consideration of this august House, it is with some satisfaction that I report the positive developments in the Indian economy in the last few months. The turnaround of the economy which started in the second quarter of 2009-10 is likely to result in a growth of 7.2 per cent for the full year 2009-10 as indicated in the Advance Estimates of the Central Statistical Organisation.

*Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2, dated 28.4.10

** Moved with the recommendation of the President.

The upward shift in India's growth trajectory has been anchored strongly in robust growth in consumption. The salutary impact of the fiscal stimulus, along with the monetary measures implemented by the RBI, facilitated the growth recovery by regenerating the investment impulses and private spending.

In the Budget for 2010-11, I have initiated a partial roll back of stimulus measures and a resumption of the fiscal consolidation process with fiscal deficit at 5.5 per cent of GDP. The Medium Term Fiscal Policy Statement 2010-11 provides the roadmap with fiscal deficit declining to 4.8 per cent of GDP in 2011-12 and further to 4.1 per cent of GDP in 2012-13.

A focus on bringing down the level of public debt as envisaged in the Thirteenth Finance Commission's Report, perhaps for the first time, and as announced in the Budget for 2010-11 would anchor the fiscal consolidation process in a sustainable debt framework.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, what is most worrisome feature of the economy is the inflation which agitates the entire House and the people outside the House. I share the concern of the hon. Members.

The year 2009 started with low WPI inflation of 1.3 per cent in April 2009, which relapsed to the negative zone during June, July and August, 2009. The WPI inflation turned positive in September 2009; thereafter it moved upward, an upward trend has been observed continuously. Clearly, the current levels of inflation are elevated and more generalized and the WPI inflation in March 2010 stood at just below the mark of double-digit at 9.9 per cent. What has led to deep concern is the double-digit food inflation. The gradual increase in food inflation observed till December 2009 was due to expectations of the supply-side constraints on food items, especially due to unfavourable south-west monsoon. As per the Second Advance Estimates of production of food grains for 2009-10, the total food grains production has been estimated at 216.85 million tonnes, which is about five per cent lower than the Second Advance Estimates of last year.

The Government has utmost concern about the current price situation. We have taken a number of short-term and medium-

term measures to improve the domestic availability of essential commodities and to moderate inflation. These include: reducing the import duties for rice, wheat, pulses, crude edible oils and sugar to zero; allowing import of raw sugar at zero duty under the Open General Licence; removing levy obligation for imported raw sugar and white/refined sugar; banning export of non-basmati rice, edible oils and pulses and imposing stock limit orders in the case of paddy, rice, pulses, sugar, edible oils and edible oilseeds. A Core Group of Chief Ministers and Central Ministers has been constituted on 15th March, 2010 to discuss the issues related to the prices of essential commodities. Besides, to protect the interests of the poor and vulnerable sections of the society, in order to protect the interests of the poor families, the Central Issue Prices for rice and wheat have been kept unrevised at 2002 levels.

We have sufficient stocks of wheat and rice to meet the demands of the Public Distribution System and other welfare schemes. As on 15.4.2010, 25.4 million tonnes of wheat in RMS 2009-10 and 25.9 million tonnes of rice have been procured in Kharif Market Season of 2009-10, that is October to September. The Central Pool stock of wheat is at a high of 183.88 lakh tonnes and of rice at 269.50 lakh tonnes as on 1.3.2010.

In the case of pulses, the shortfall of domestic production has been made up by higher imports. Considerable support has been provided to the Public Distribution System. For pulses and edible oil, the Government is bearing a subsidy of Rs.10 per kilogram and Rs. 15 per kilogram respectively for distribution through PDS and Fair Price Shops. The Core Group of Chief Ministers and Central Ministers held its first meeting on 8th April, 2010. Three Working Groups consisting of Chief Ministers of various States are now engaged in drawing up recommendations on agricultural production, consumer affairs, and food and public distribution. The Reports are expected by the middle of June, 2010.

Indications of softening of food inflation are clearly visible. There has been a significant decline from the peak food inflation of over 20 per cent recorded in December, 2009 to 17.7 per cent in March 2010. The inflation in essential commodities also declined from the peak of 23.8 per cent in January, 2010 to 19.8 per cent in March, 2010. It is expected that this decline would continue in the coming months uninterrupted.

From the monetary side also we have taken certain steps in the recent policy statements by the Reserve Bank of India on 20th April, which have been gradually fine-tuned by the RBI to face the inflationary challenges. The Repo Rate has been increased from 5 per cent to 5.25 per cent and the Reverse Repo Rate from 3.50 per cent to 3.75 per cent. The CRR has also been increased from 5.75 per cent to 6 per cent. These measures are expected to anchor the inflationary expectations.

MSYD. M

While the slowdown in agriculture, inflicted by the monsoon failure, poses concern on the food and food prices front, the impressive recovery achieved by the Indian industry in the recent months is heartening. The Index of Industrial Production recorded a growth of 10.1 per cent during April-February 2009-10, compared to three per cent during April-February 2008-09. While both manufacturing and mining grew around 10 per cent, electricity grew at 5.8 per cent during April-February 2009-10. All the major segments of industry except consumer non-durables staged a strong recovery. The intermediate goods grew at 13.7 per cent and consumer durables recorded an appreciable 25.5 per cent growth in April- February 2009-10. The growth of capital goods at 18.2 per cent in April-February 2009-10, on top of their reasonable growth in the previous year, is indicative of the pickup in investments.

I have already informed the House that the Government is firmly committed to the goal of comprehensive tax reform through the introduction of the Direct Taxes Code as well as the Goods and Services Tax. I am happy to inform the hon. Members that in the case of DTC, the process of consultation with the stakeholders for revising the first draft is almost over. We expect to place a revised Discussion Paper in the public domain by next month. After a quick round of consultations with some of the major stakeholders, we expect to submit the Draft Legislation to Parliament in the Monsoon Session.

I have indicated my intent to introduce the GST in the country with effect from 1st April, 2011. The Central Government is closely engaged with the Empowered Committee of the State Finance Ministers in finalizing the GST design. Some of the States apprehend that they may lose some revenue in the initial years of the GST regime. The Central Government is willing to provide compensation to the States for these initial years, provided there is an agreement on the broad framework for a common threshold for Goods and Services between the Centre and the States; common exemption lists between the Centre and the States; mechanism to check deviations and acceptable level of overall GST rates. The design and modalities of providing this compensation would be worked out in consultation with the State Governments and the Empowered Committee; and I am expecting the support and cooperation from my colleagues from different parties, who are having their Governments in different States because these should be the most effective tax reforms so that we can successfully implement the GST. So, this is the area where the cooperation of all sections of the House is absolutely

necessary.

I am confident that we will be able to harness that cooperation.

Looking from this perspective, the final outcome for the year 2010-11, Mr. Deputy-Speaker, Sir, I feel there are several factors that have emerged from the performance of the economy in the recent period which augur well for the Indian economy. Attesting the impressive recovery of the industrial sector, there is a revival in investment and private consumption demand, though demand recovery is yet to attain the pre-2008 momentum. The favourable capital market conditions with improvement in capital flows and business sentiments are also encouraging. There is also a significant pick-up in corporate earnings and profits.

The outlook is further brightened by the fact that a normal monsoon is predicted this year, and I hope this prediction comes true.

Going by these indications and considering that agriculture had a set-back in 2009-10 and is only gradually getting back to the projected path, the Indian economy is expected to grow around 8.5 per cent during 2010-11 and to breach the nine per cent mark in 2011-12.

Since the presentation of the Budget on 26th February, 2010, we have received a large number of representations and suggestions both from trade and industry as well as my colleagues sitting in this august House. While some seek modifications to the existing proposals, others have urged for fresh reliefs. Some valuable suggestions were also made by the hon. Members during the general discussion on the Budget in the first phase of this Session. I expect to receive some more suggestions in the course of the discussion which will take place right now. I shall cover the reliefs we propose to grant, the amendments that we seek in the Bill and our response to the issues that are raised in discussions during my reply, as per the practice.

With these words, Mr. Deputy-Speaker, I move for consideration of the Finance Bill, 2010.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2010-2011, be taken into consideration."

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): महोदय, संविधान के अनुच्छेद 110 और 112 के अंतर्गत जैसा हमारी नेता प्रतिपक्ष ने कहा, यह हमारा उत्तरदायित्व है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी के साथ ही हमारा सहयोग भी है। यदि प्रतिपक्ष चाहे तो फाइनेंस बिल पर मतदान करवाकर सरकार को गिरा सकता है, लेकिन हमारी प्रतिपक्ष की नेता ने इसे जिम्मेदारी माना है और हम इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक की बातों पर आने से पहले मैंने अपने मन में कुछ और सोचा था, मगर जब आदरणीय वित्त मंत्री जी ने वित्त विधेयक सामने रखने से पहले कुछ आंकड़े दिए और सारी बातें सदन के सामने रखीं, मैंने उनको सुना। मैं उनके एक शब्द से अपनी बात को, अपने वक्तव्य, अर्थशास्त्र का कहीं से प्राप्त किया हुआ अपना थोड़ा सा ज्ञान और अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि टैक्स रिफार्म से बहुत फायदा होने वाला है और हमारी सारी समस्याओं का निराकरण टैक्स रिफार्म से होगा। मैं उसी टैक्स रिफार्म पर ही अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है?

हम सबकी प्राथमिकता है कि इस देश का आम आदमी खुशहाल हो। देश की आजादी के 62 साल बाद, पूजातंत्र आने के बाद भी आज उसकी क्या स्थिति है, यह हम सब जानते हैं। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की बात और अन्य स्रोतों की बात कही। आपने अपने बजट में सरकार की मंशा को व्यक्त किया था। मैं कहना चाहता हूँ कि हम सबकी भी वही मंशा है कि देश की आम जनता खुशहाल हो। वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में पेज नम्बर 29 के पैराग्राफ 188 में आपने हमारे सामने महत्वपूर्ण बात को रखा है। उसमें क्या ऐसी बात लिखी है, यह मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा, जिसका बार-बार जिक्र करके आप चुनावों में जाते हैं और जीतते हैं। मैं वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए वर्ष 2010-2011 के बजट भाषण में पैराग्राफ 188 को कोट करना चाहूँगा -

"This Budget belongs to 'Aam Aadmi'."

यह बजट आम आदमी के लिए है।

"It belongs to the farmer, the agriculturist, the entrepreneur and the investor. The opportunity is great."

काफी लम्बा पैराग्राफ है, मैं इसे पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि पिछले दो-तीन दिनों से मुझे गले में तकलीफ है। हम सब मानते हैं कि हमारा मेन थ्रस्ट आम आदमी है... (व्यवधान) लाल सिंह जी, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है। आज देश में आम आदमी की क्या स्थिति है, वह शायद

सरकार को मालूम नहीं है। कल हमने कोशिश की कि आम आदमी से, किसानों से जुड़े हुए मामलों को, समस्याओं को लेकर यहां आए और कटमोशनस के जरिए उसे उठाया। हमने उस मामले को यहां रखने का काम किया, जिससे देश की 90 प्रतिशत से ज्यादा जनता जुड़ी हुई है। इसलिए हम कल सदन में कटौती प्रस्ताव के जरिए आम आदमी की बात करने आए थे। लालू जी, वैसे मुझे आपका नाम नहीं लेना चाहिए, पता नहीं सरकार के प्रभाव में या सीबीआई के दबाव में आपने और कुछ अन्य साथियों ने गरीबों के प्रति अपनी निष्ठा बदल दी, जिसके फलस्वरूप कल यह सरकार बत गई, वरना आम आदमी की बात जो हम कर रहे थे, वह देश के कोने-कोने में जाती। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों को बढ़ाने के सम्बन्ध में हमने कटौती प्रस्ताव दिया था। अगर उस पर हम सब एक हो जाते तो किसान भी खुशहाल होता...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): ऐसा नहीं है, हमने सरकार को 15 दिन का समय दिया है कि इस दौरान वह महंगाई कम करे। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी आप बैठ जाएं।

श्री हरिन पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का और विशेषकर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): आपने मेरा नाम लिया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहां तो आप कल सरकार गिराने आए थे, वहां झारखंड में आपकी सरकार गिर गई है...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): जनता के हित के सवाल पर हम एक सरकार नहीं, हजारों सरकारें कुर्बान कर देंगे।

श्री हरिन पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सदन की भावना व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहता हूँ...(व्यवधान) मैं वही कह रहा हूँ, कल रात से आप तकलीफ में हैं, लेकिन अब मैं आपका नाम नहीं लूंगा। आप मेरे परम मित्र हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं।

मैं सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि आपने टैक्स रिफॉर्मर्स की बात कही है। बजट में उसकी चर्चा हुई। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ।

लेकिन मैं कहूंगा कि आम जनता से जुड़ा हुआ, लगातार 7 बार चुनाव जीतकर, संसद में आने वाला मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और मुझे भी संस्कृत पढ़ने का मौका मिला। मैं चाहता था कि यहां पुस्तकें लेकर आता और चाणाक्य के एक-एक नीतिसूत्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विष्णुगुप्त के धर्मशास्त्र का, तीनों शास्त्रों का यहां उल्लेख कर सकता, लेकिन फिर मेरे बाकी मुद्दे रह जाते। यह जो आपने टैक्स स्ट्रक्चर बनाया है, कृपया करके यह जो आपने पिलर बनाया है, यह आम आदमी के लिए नहीं है, वह पैसे वालों के लिए है, उस पिलर को उल्टा कर दो, तभी फायदा होगा। अभी स्थिति क्या है? जो 8 लाख से ऊपर कमाएगा यानी जिसकी आय 8 लाख रुपया है, सबसे ज्यादा फायदा उसे होगा। अरसी हजार कमाने वाले को 51,500 रुपये का फायदा होगा। इस 51,500 रुपये का मतलब हुआ 45,00 रुपया मासिक। अब जो आदमी अरसी हजार रुपया प्रतिमाह कमाता है, उसे 45,00 रुपया मिले या नहीं मिले उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। पांच लाख वाले को 20 हजार रुपये का फायदा है और जो सबसे कम 12 हजार, 15 हजार, 16 हजार कमाने वाले हैं...(व्यवधान) 90 करोड़ लोगों की स्थिति आज दयनीय है। उनको आपने सबसे कम फायदा करवाया है। चाणाक्य का कहना यह है कि पैसे वालों से ज्यादा तो और गरीब को ज्यादा दो और गरीब से ज्यादा मत लो। एक लाख साठ हजार से तीन लाख रुपया कमाने वाले हजारों सरकारी कर्मचारी हैं। केन्द्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, छोटे कोरपोरेशन में काम करने वाले कर्मचारी, जिनकी 15 हजार, 16 हजार रुपये आय है। एक लाख साठ हजार से तीन लाख कमाने वाले को कोई फायदा नहीं है, आम आदमी इसमें आता है। पांच लाख रुपया कमाने वाले कर्मचारी को मैं आम आदमी नहीं कहता हूँ। जिसकी मासिक आय 50 हजार है मेरी पार्टी उसे आम आदमी नहीं मानती है, 8 लाख कमाने वाले को आम आदमी नहीं मानती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं करबद्ध प्रार्थना करके यह जानना चाहता हूँ कि तीन करोड़ 80 लाख जो टैक्स पेयर हैं, उनमें से 8 लाख से ऊपर कमाने कितने हैं? ...(व्यवधान) ये जो हमारे मध्यम और गरीब वर्ग के सामान्य नागरिक हैं उन्हें कोई फायदा नहीं है। तीन लाख से पांच लाख वालों को आठ लाख कमाने वालों से कम फायदा है। मेरा कहना है कि अगर आप आईएस और वर्ल्ड बैंक के पंजे से निकलोगे और आम आदमी की बात सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि हमने ज्यादा रियायतें, ज्यादा राहत छोटे आदमी को देनी चाहिए, जिसे उसकी जरूरत है।

आप लिमिट बढ़ा दीजिए, लिमिट बढ़ जाएगी क्योंकि छोटे आदमी पैसे वालों में भी नहीं गिने जाते, मध्यम श्रेणी में भी नहीं गिने जाते हैं। गुजरात भवन में काम करने वाला जिसकी मासिक आमदनी 15 हजार है। वह एक लाख साठ हजार से तीन लाख के बीच आ गया। उसके तीन बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ठीक नहीं रहता है, उसकी दवाई करनी है, स्कूल भी भेजना है। अभी उसे दस परसेंट तो देना पड़ेगा। मेरी यही प्रार्थना है कि कृपया गंभीरतापूर्वक इस पर विचार कीजिए। सदन के सभी माननीय सांसद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस पिलर को आप उल्टा कर दीजिए, इसका यही एक सॉल्यूशन है। पैसे वालों को अगर 4500 के बदले पांच सौ का फायदा होगा तो चलेगा। मगर जो बिल्कुल गरीब है, उसे हजार, बारह सौ के बदले टैक्स में ज्यादा रियायत दीजिए। आप सीनियर सिटीजन भूल गये, पश्चिमी अनुकरण के कारण वृद्धाश्रम खुलते रहेंगे, बहने भूल गये। सीनियर सिटीजन के लिए वही दो लाख चालीस हजार हैं। क्या उन पर महंगाई का असर नहीं होता? सीनियर सिटीजनस के ऊपर अमरीका की पूरी सरकार बनती है। बहनों के लिए हम यहां संसद में इतनी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन उन्हें छोड़ दिया। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आम आदमी को देखते हुए, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, सीनियर सिटीजनस की समाज में आज जो स्थिति बनी है, हमारे लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी और हमारी पार्टी सही कहती है कि देश में आज जो पश्चिमी अनुकरण आया है, उसके कारण संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ, आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए संस्थाएं बनने जा रही हैं। उनके बच्चे उन्हें घर से निकाल देते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि इस टैक्स स्ट्रक्चर पर आप दोबारा सोचिये, जिसके कारण आम आदमी परेशान है। गरीब की बात तो बहुत हो चुकी है, मैं उस पर और नहीं बोलूंगा, देश में आज गरीबों की क्या स्थिति है, वह सभी जानते हैं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें, माननीय सदस्य को बोलने दें।

ॐॐ!(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप आसन की तरफ देखकर बोलिये।

श्री हरिन पाठक : यदि मैं गरीबों की चिंता नहीं करता तो मैं सात बार संसद में नहीं आता। आप क्या जानते हो, मेरे क्षेत्र में गरीब रहते हैं। मैं अहमदाबाद के उस इलाके का और किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जहाँ गरीब बसते हैं। मैं कोई ऐसे वालों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। आप क्या करने गरीबों की चिंता, मैंने एक गरीब शिक्षक के बेटे के नाते गरीबी देखी है। ...(व्यवधान) मैंने गरीबों को पढ़ाया है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप आसन की तरफ देखकर बोलिये, उधर मत देखिये।

श्री हरिन पाठक : आप पहली बार चुनाव जीतकर आये हो और गरीबों की बात करते हो। मैं आप सबकी बात करता हूँ। आप गरीबों की बात कहिये। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में टोका-टाकी न करें।

श्री हरिन पाठक : मैंने कोई आक्षेप नहीं लगाया, मैंने बीस सालों में कोई असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया। मैं सिर्फ वही बात बता रहा हूँ, जो हमारे मन में है, आपने भी कहा है कि गरीब के बारे में सोचें, मध्यम वर्ग के बारे में सोचें और इस पियामिड में थोड़ा का वेंज करके, बदलाव करके उसकी लिमिट बढ़ा दीजिए तो बढ़ती हुई महंगाई में उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। यही मुख्य बात मुझे आपसे कहनी है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि हमने बजट में ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहे, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तो आप बोलियेगा।

श्री हरिन पाठक : मैं चार-पांच मुद्दों पर ही बोलूंगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आप इधर देखकर बोलिये, उधर मत देखिये।

श्री हरिन पाठक : ये मजाक में लेते हैं। मैं उन गरीबों की बात करना चाहता हूँ...(व्यवधान) नहीं होगा तो मैं चुप बैठूंगा। मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है और न कोई ऐसी बात कही है, जिससे किसी को कोई दुख पहुंचे। यदि कोई अच्छे सुझाव देता है, आपको वह भी पसंद नहीं है। मैं गरीबों के लिए सुझाव दे रहा हूँ।

मैंने सरकार के खिलाफ कोई ऐसा शब्द नहीं कहा। मैं तो केवल गरीब की बात करता हूँ। क्या मुझे गरीब की बात करने का अधिकार नहीं है?

उपाध्यक्ष जी, मेरा दूसरा मुद्दा फाईनेंस बिल पर हाऊसिंग सैक्टर के बारे में है। जो टैक्नीकल मुद्दा था, वह मैंने कह दिया है। अब फाईनेंस बिल की यह जो लाल किताब है उसमें Memorandum explaining the provisions in the Finance Bill, 2010. मुझे फाईनेंस बिल पर बोलना है, कोई भाषण नहीं करना है। There is a difference between Budget and the Finance Bill. I am speaking on the Finance Bill. जो टैक्नीकल पाइंट्स आयेगे, मैं उन्हें रखना चाहूंगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। मैं हाऊसिंग सैक्टर की तरफ फाईनेंस मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने फाईनेंस बिल के पेज 21 पर II पाईट-5 पर कहा है कि दस लाख तक का जो लोन होगा, उसपर एक परसेंट इंटरैस्ट माफ होगा। जहां तक मैं समझता हूँ और मैंने देखा है कि आज तक 10 से 20 लाख तक के लोन पर 10 परसेंट टैक्स लगेगा। जो आदमी 20 लाख का घर बनायेगा और अगर वह दस लाख लोन लेगा तो एक परसेंट के हिसाब से उसे केवल दस हजार रुपये का फायदा होगा। आज तक क्या होता था? जब वह मकान बनाता था तो धीरे धीरे वह किश्त देता था लेकिन अब बीस लाख के लोन पर, जहां तक मेरा ज्ञान है, आप सही हो सकते हैं और जो लिखा है कि जो मकान बनायेगा, उसका दो तिहाई अभी तक आपके बजट में रिलीफ में आता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है लेकिन जो एक तिहाई बचा है उस पर 3.40 प्रतिशत टैक्स लगेगा और वह टैक्स होगा 66,666 रुपये। आपने दस हजार रुपये का फायदा करवाया लेकिन उससे लिया 66,666 रुपये। जो लिया उसे इतना टैक्स देना पड़ेगा जो अभी तक नहीं था। वित्त मंत्री ने कहा है कि हाऊसिंग सैक्टर में तीन हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिलेगे। मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा पैसा आप लेने वाले हैं। आपने 25 नई सर्विसेज डाली हैं जिन पर सर्विस टैक्स डाला है। मुझे आश्चर्य होता है कि उन पर रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से होगा। एक तरह का वर्ष 2003 से है और दूसरा वर्ष 2007 से है। मेरे विचार से टैक्स रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से नहीं होता है। उसे आप अगले साल से लीजिये। जो आपने लिखा है कि नई 25 सर्विसेज हैं जिनमें 8 नई हैं। उन पर रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से टैक्स नहीं होना चाहिये। जैसा आपने कहा कि अगर कोई किराये पर मकान लेगा या जो अपना घर किराये पर देगा और अगर उसका किराया आयेगा तो वह दस लाख से ज्यादा आयेगा और उस पर टैक्स लगेगा। वह भी रिट्रोस्पेक्टिव लगेगा। अब किरायेदार भाग गया, किरायेदार चला गया, वह किरायेदार कब का निकल गया है, कैसे रिट्रोस्पेक्टिव, किससे पैसा लगे? आदरणीय दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है,

"The Delhi High Court gave a very bold verdict that renting of property is not rendering any kind of service."

अगर आप किसी को घर किराये पर देते हो, यह कोई सर्विस नहीं है, लेकिन फिर भी हमने हाई कोर्ट को अंदाज करके धीरे से पीछे के दरवाजे से इसे डाल दिया कि चलो कोई बात नहीं, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है इसलिए हम डाल देते हैं कि नहीं, मकान किराये पर देने तो उसके पैसे पर भी टैक्स लगेगा। यह रिट्रोस्पेक्टिव जो आपने डाला है, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उस पर विचार कीजिए। जो मुझे सबसे बड़ी बात कहनी है, वह चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की है। यह थोड़ा आगे तक की बात मैं सदन के सामने गंभीरतापूर्वक रखना चाहूंगा। Memorandum Explaining the provisions of Finance Bill, 2010 पेज 21.3, अगर कोई भी संस्था किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग और कोचिंग चलाती है, हमारे देश में कोई सरकार देश नहीं चलाती है? सभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, कोई संस्था अगर ट्रेनिंग, रिसर्च और ऐसे अन्य काम कम पैसे में गरीबों के लिए करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा। उसमें आने गलती से एक शब्द उन लोगों ने लिख दिया है। वह शब्द क्या है? वह शब्द है- Whether or not अगर मानो वह प्रोफिट करती है या नहीं करती है, प्रोफिट करती है तो तब भी कुछ समझ में आता है, अगर वह संस्था प्रोफिट नहीं करती है, तब भी उस पर टैक्स लगेगा, यह समझ से परे है। हमारा देश गांधी जी के सिद्धांतों पर आज भी चलता है। अनेकों-अनेक लोग इस सदन में बैठे हैं, विधान सभाओं में बैठे हैं, जिसके पास दो पैसे हैं, पैसे संभाल के लोगो व देश की सेवा करते हैं। देश की 107 करोड़ की जनता को, 11 लाख करोड़ के बजट से अगर देश ठीक होने वाला होता तो 62 साल हो गये हैं, इस देश में कब से खुशियां आ जातीं। अभी भी 90 करोड़ लोग, हमें पता नहीं है कि कितने गरीब हैं? एन.सी.सर्वेक्षण कोई और रिपोर्ट देते हैं, तेंदुलकर जी कोई और रिपोर्ट देते हैं, मंत्रालय कोई और रिपोर्ट देता है, अभी बताया गया कि 50 परसेंट लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। ये जो संस्थाएं हैं, मेरा यही नमू निवेदन है कि whether or not, यह not है, अगर कोई प्रोफिट नहीं करता है तो उससे टैक्स लेने का क्या मतलब? वे संस्थाएं चलाते हैं। अगर प्रोफिट करता है तो आप टैक्स लीजिए। आप उसके सारे चौपड़े देखिए, आप उसकी किताबें देखिए, बुक्स ऑफ एकाउंट देखिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने इसमें भी 11-07-2003 से रिट्रोस्पेक्टिव किया है। यह रिट्रोस्पेक्टिव मेरी समझ में नहीं आता है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। क्या आपकी समझ में आता है? तीन साल पहले, छह साल पहले का टैक्स वसूल करो। यह पूरा सदन ग़मराह हो रहा है, कहीं न कहीं आपको भी अधिकारीगण ग़मराह कर रहे हैं। हमारी

वित्तीय परम्पराओं को, इस सदन की गरिमा को चोट पहुंचती है। हम ऐसा कोई कदम न उठाएँ, जिसके कारण पिछले वर्षों में यदि हमें कोई फायदा मिलने वाला हो, उसका इस बार हम प्रस्ताव करें। पहली बार सदन में मेरे कुछ मित्र मौजूद नहीं होंगे, आदरणीय विदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, मैं भाषण सुन रहा था, कैश withdrawal टैक्स डाला। यानी आप अपने पैसे का टैक्स, यूपीए सरकार के उस समय के वित्त मंत्री ने, आप खुद के पैसे, एक नम्बर के पैसे, वेतन के मिले हुए पैसे, जिस पर आपने टैक्स भरा है, उसे अगर आप बैंक में रखकर विदड़ा करोगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सदन शांति से सुन रहा था, लेकिन मैंने शोर मचाया, मैंने कहा कि इस देश में क्या हो रहा है?

15.00 hrs.

दुनिया के किसी भी देश में मेरे खुद के 50 हजार या लाख रुपये बैंक में पड़े हैं और यदि उसमें से मैं तीस हजार रुपये निकालता हूँ तो मुझे टैक्स क्यों देना होगा? जबकि मैं तो टैक्स दे चुका हूँ। आपने उस बात को माना और चुनाव में फायदा उठाने के लिए प्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से दे दिया कि वर्ष 2010-11 से कैश विड्रा पर टैक्स को विड्रा करता हूँ। कहीं आप प्रोस्पेक्टिव करते हो, लेकिन लूटना है तो रेट्रोस्पेक्टिव करते हो।

महोदय, आपने 60 लाख रुपये के ऊपर आपने लिमिटेड लायबिलिटी टैक्स लगा दिया है। मैं गुजरात से आता हूँ, जहां अधिकतर व्यापारी लोग हैं। ऐसा करने से कोई भी 60 लाख रुपये से ऊपर कोई भी कम्पनी नहीं बनाएगा। ज्यादातर लिमिटेड कम्पनियों में प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। वह अपने परिवार के तीन लोगों की ही प्राइवेट कम्पनी बना देगा। आपका जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं होगा। इन तीन-चार मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए, सदन का ज्यादा समय न लेते हुए, एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि आम आदमी पिस रहा है। आपका बजट आम आदमी के खिलाफ है। आपका बजट किसानों के खिलाफ है। आपका बजट इस देश की 90 करोड़ से ज्यादा जनता के खिलाफ है। आपकी आर्थिक सोच केवल राजनीति के लिए है, मतदाता की सोच है। वोट कैसे मिले?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

â€¦(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): He is talking for the corporates only....*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

...*(Interruptions)*

SHRI HARIN PATHAK : I spoke for 20 minutes, you did not allow me to speak. I spoke for 25 minutes on *Aam Aadmi* but he disturbed me....*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Harin Pathak says.

(Interruptions) â€¦*

श्री हरिन पाठक : आठ लाख रुपये कमाने वाला कौन है, आम आदमी है? मैंने कारपोरेट सेक्टर का विरोध किया, मैंने पैसे वालों का विरोध किया। मैंने आम आदमी की तरफदारी की, लेकिन आप उसका विरोध करते थे।...(व्यवधान) आपने मुझे टोका। मैं तो कहता हूँ कि आठ लाख रुपये वालों के लिए टैक्स कम मत करो, छूत मत दो।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude.

...*(Interruptions)*

श्री हरिन पाठक : महोदय, मुझे यही कहना है कि आम आदमी के नाम पर यह सरकार वर्ष 2004 और वर्ष 2009 में चुनाव जीत के आई, लेकिन आम आदमी ही महंगाई में पिस रहा है। आप इनफ्लेशन की बात करते हैं। मुझे फिगर्स में नहीं जाना है। पहली बार देश के अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आया कि इनफ्लेशन बढ़ता है, तब भी महंगाई बढ़ती है और इनफ्लेशन माइनस होता है तब भी महंगाई बढ़ती है। मैं नहीं मानता हूँ कि विश्व के किसी देश में ऐसा होता होगा। इसके लिए हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन हम पीठ थपथपाते हैं, Inflation has come down from four per cent to two per cent. जीसे पर्सेंट था, तब भी महंगाई बढ़ रही थी। पूरे देश के लोग महंगाई से मर रहे थे। इन आंकड़ों पर मत जाइए, नब्ज़ पकड़िए। गरीबों और मध्यम वर्ग जनता की नब्ज़ पकड़िए, वे क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से इस देश का बजट बनाना चाहिए, उसी के हिसाब से फाइनेंस बिल में आपको जो रियायतें देनी हैं, वह दीजिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य हरिन पाठक का पूरा भाषण सुनने के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हरिन भाई जी ने मूल तौर पर टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में अपनी शिकायत रखी है और यह एक ऐसी चीज है कि जिस पर जितना विवाद करना चाहें, कर सकते हैं। किसे टैक्स रेट में रखना है और किसे नहीं रखना है, यह अपने आप में एक अर्से से विवाद का विषय

रहा है। इस पर समय-समय पर सुधार भी होता रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने जो इनकम टैक्स के संदर्भ में बातें कहीं, कभी एक समय था जब सिर्फ पच्चास हजार रुपए तक की जो कमाई थी, वहां तक एग्ज़म्पशन था और वह बढ़ते-बढ़ते आज एक लाख साठ हजार तक हो गया है। पूणब बाबू के इस बजट में ...(व्यवधान) हर सरकार ने थोड़ा-थोड़ा बढ़ाया है, आपने ही सब कुछ किया है, ऐसा नहीं है। यह एक रेग्युलर, नियमित प्रक्रिया है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि समय-समय पर टैक्स एग्ज़म्पशन की व्यवस्था होती रहती है, स्टेब वैंज होते रहते हैं। आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने सन् 2010 के विधेयक में जो व्यवस्था की है, उसे समझना भी आवश्यक है। एक लाख साठ हजार की कमाई करने वाले लोगों के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, यह निर्णय लिया है और उसके बाद आठ लाख की कमाई करने वाला जो व्यक्ति होगा, उससे तीस परसेंट का टैक्स लिया जाएगा, लेकिन एक लाख साठ हजार से लेकर तीन लाख के बीच में कमाई करने वाले जो लोग हैं, उनसे दस परसेंट से ज्यादा इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपने यह बात सही कही कि जो बड़ा वर्ग है, उसकी कमाई डेढ़ लाख से तीन लाख के बीच ही है, उसके ऊपर वित्त मंत्री जी ने सबसे कम बर्डन दिया है, इसलिए सबसे पहले मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और यह सबसे कम बोझ है।...(व्यवधान) हरिन भाई, आप मेरे बहुत प्रिय पुराने मित्र हैं, कृपया आप धैर्य रखें।

15.08 hrs.

(Shri Francisco Cosme Sardinha in the Chair)

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि 18-20 महीनों के बीच पूरी दुनिया की तरह यह देश भी एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजरा, जब दुनिया की बड़ी-बड़ी आर्थिक शक्तियां परेशान और तबाह हो गईं, जब उनका जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गया, तब हमारे देश में जो ग्रोथ मोमेंट था, उसे हमारे वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी ने कहीं से भी खंडित नहीं होने दिया। इसलिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने पिछले एक साल में एक सफलता की कहानी लिखी है, ग्रेट सक्सेस स्टोरी है और ग्रेट सक्सेस स्टोरी इस संदर्भ में है कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, वह नेगेटिव नहीं गया। सन् 2009 में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव 2.5 हो गया और यू.के. का जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस 4.8 हो गया।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद जी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए और जो आप चाहें, वही मैं बोलूँ, ऐसा नहीं है। मुझे जो पसन्द है, वह मैं बोलूंगा। आप मुझे बोलने दीजिए। बोलने में एक प्रवाह होता है।

MR. CHAIRMAN : Please sit down.

...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€! **

श्री संजय निरुपम : हां, मैं बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई और इस देश की अर्थव्यवस्था बनी रही। यह बताना जरूरी है। तब आपको समझ में आएगा कि यू.पी.ए.-2 ने कितना अच्छा काम किया।

MR. CHAIRMAN: Shri Sanjay Nirupam, no cross-talks. Please address the Chair.

...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€! **

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record.

*(Interruptions) â€! **

श्री संजय निरुपम : शैव्यू तेयरमैन साहब।

मैं यह कहना चाह रहा था कि पिछले 18 महीनों में दुनिया की बड़ी-बड़ी आर्थिक शक्तियों की जो अर्थव्यवस्था थी, वह लड़खड़ा गई। अगर किसी की अर्थव्यवस्था बची रही, लड़खड़ाई नहीं, तो वह हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था थी और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे पूरा हक है और पूरे देश की जवाबदारी बनती है कि अपने वित्त मंत्री महोदय को हम बधाई दें और साधुवाद दें।

मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि वर्ष 2009 में अमेरिका का जी.डी.पी. ग्रोथ -2.5 हो गया, यू.के. का जी.डी.पी. ग्रोथ -4.8 हो गया, जापान, जो दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति थी, उसका जी.डी.पी. ग्रोथ रेट -5.3 हो गया, चायना जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी मानी जाती थी, उसका जी.डी.पी. ग्रोथ, 10.00 से घटकर 8 पाइंट समर्थन हो गया। ऐसे में हिन्दुस्तान का जो जी.डी.पी. ग्रोथ रेट था, वह 5.6 पर टिका रहा, निगेटिव ग्रोथ रेट नहीं हुआ और इसके लिए अगर कोई जवाबदार है, तो भारत सरकार के अपने प्रयास, स्टीमुलस पैकेज और तमाम तरह की सुधार आर्थिक नीतियां हैं। यह इस सरकार का एक चमत्कार है। यह वर्ष 2009 की बात है। अगर वर्ष 2010 में देखें, तो आज अमेरिका का जी.डी.पी. ग्रोथ रेट सिर्फ 2.7 है, यू.के. का जी.डी.पी. ग्रोथ रेट सिर्फ 1.3 है, ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Lalu ji, I will give time to you later on.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record.

(Interruptions) â€¦*

MR. CHAIRMAN: Shri Syed Shahnawaz Hussain, you are disturbing the House.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing should go on record.

(Interruptions) â€¦*

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मैं जानता हूँ कि जी.डी.पी. ग्रोथ रेट की बात सुनते ही ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please cooperate. Please do not disturb him.

...(Interruptions)

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, इस बात से कोई इंकार नहीं कर रहा हूँ कि पिछले एक वर्ष में महंगाई बढ़ी है। इन्फ्लेशन बढ़ा है, इससे किसी ने इंकार नहीं किया। इसी सत्र में, छुट्टियों से पहले इस बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। उसके कारणों को भी हमने सामने रखा है। उसके कारणों को पहचानते हुए, उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी हो रहा है और उन प्रयत्नों का हमें कुछ फायदा भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार चिन्तित नहीं है। कल 13 पार्टियों का भारत बन्द का आह्वान था। भारत बन्द बढ़ा सफल रहा, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहूँगा।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you may please address the Chair.

...(Interruptions)

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मेरे कहने का आशय यह है कि आर्थिक मंती और जिस प्रकार का मौसम का वातावरण रहा, पिछले एक-डेढ़ साल में मानसून का जिस प्रकार का वातावरण रहा, उससे बहुत कुछ अपने कंट्रोल के बाहर था, नियंत्रण के बाहर था, लेकिन सरकार ने अपने प्रयासों के जरिये पूरी व्यवस्था को बिखरने नहीं दिया, संभालकर रखा। हमारा जो फूड प्रोडक्शन था, वह भी थोड़ा कम पड़ा। उसके बाद उसको इम्पोर्ट किया गया। अभी पूणव बाबू ने बताया कि बहुत सारे जो खाद्यान्न हैं, उनके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, उसको हमने कम किया है, ताकि हमारे यहां जो माल बाहर से आये, वह सस्ता पड़े, रीज़नेबल प्राइस पर आये, ताकि आम आदमी उसको एफोर्ड कर सके, आम आदमी उसे खरीद सके। यह सरकार की तरफ से चिन्ता हो रही है। आपकी भी चिन्ता है और आपकी चिन्ता से हम और भी चिन्तित होते हैं और निश्चित तौर पर उस दिशा में और भी प्रयास करते हैं।

मैं जो कहना चाह रहा हूँ, उसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच यह देश जब इतने संकट के दौर से गुजर रहा था, तब हम एक सफलता की कहानी धीरे-धीरे लिखने में लगे थे। आज कोई ऐसा सैंक्टर नहीं है, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर सैंक्टर को छोड़ दें, जहां पर ग्रोथ नहीं हो रही है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सैंक्टर हो या सर्विस सैंक्टर हो या सर्विस सैंक्टर के अलग-अलग सैंक्टर्स हों। उसके बाद एग्रीकल्चर सैंक्टर में प्रयास जारी हैं। पर कैपिटल इन्कम की अगर हम बात करें, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा सर्वे इस देश में आया है, जिसमें कहा गया है कि इस देश के 78 परसेंट लोगों की रोज की कमाई सिर्फ 20 रुपये है। यह सरासर गलत है। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, मैं इसे नहीं मानता।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record, except Shri Sanjay Nirupam's speech. Shri Sanjay Nirupam may continue please.

(Interruptions) â€¦*

श्री संजय निरुपम : अगर स्कोर सैंटल करना है तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन कोई अगर अपने सीने पर हाथ रखकर बताये कि क्या इस देश में 78 परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनकी कमाई 20 रुपये भी नहीं है? मैं इस चीज को नहीं मानता। हमारे देश में लोगों की कमाई बढ़ी है।

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair. Nothing else will go on record.

(Interruptions) â€¦*

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I want to say something. आप बाद में बोलिये।

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please cooperate with the Chair.

Shri Hussain, all the time, you are disturbing. You can speak when you get your chance.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: You can refute the points when you speak. Please refute when you get your turn.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Otherwise, it becomes chaotic. Nothing will go on record, except Shri Sharad Yadav.

(Interruptions) â€¦*

श्री शरद यादव : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अर्जुन सेनगुप्ता, जो आपने कहा, उनके सैम्पल सर्वे के बारे में अभी पाठक जी बोल रहे थे। तीन तरह के आंकड़े हैं। नेता सदन ने भी यह बात कही है और इस मामले में उन्होंने प्लानिंग कमीशन से कहा है कि सब तरह से ठीक बात पता लगाई जाये। मैं आपसे कहूँगा कि यह आंकड़ा हमारा नहीं है। अर्जुन सिंह गुप्ता कमेटी सरकार की कमेटी थी। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हिंदुस्तान में पचहतर से अरसी फीसदी लोग ऐसे हैं, बीस तो एवरेज हैं, उसने तो और भी कम बताया। ...(व्यवधान) महोदय, हम नहीं टोकते, लेकिन वह गलत बोल रहे हैं, सरकार ने जो कमेटी बनायी, ...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : लोग मिट्टी खा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, हमारे देश में लोग गरीब हैं, इस बात को मैं भी जानता हूँ। लेकिन ...(व्यवधान) प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ। ...(व्यवधान) मैं अपनी बात ही कहूँगा। आपकी बात नहीं कह सकता। ...(व्यवधान) सभापति जी, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर रहा है कि इस देश में गरीबी है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग भी हैं। समय-समय पर इससे संबंधित आंकड़े सामने आते रहे हैं। उन आंकड़ों के ऊपर विवाद भी होता रहा है। एक जमाना था जब 36 पैसे लोग बिलो पावर्टी लाइन थे। बाद में 26 ...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): नेशनल सर्वे की रिपोर्ट को क्या आप गलत मानते हैं? ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing should go on record except the speech of Shri Sanjay Nirupam.

(Interruptions) â€¦*

श्री संजय निरुपम : कभी 36 प्रतिशत लोग देश में बीपीएल की श्रेणी में थे, उसके बाद 26 प्रतिशत हुए और उसके बाद 25 प्रतिशत हुए। पिछले दस वर्षों में एक करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। यह इस देश की यूपीए सरकार के प्रयासों का नतीजा है। ये भी आंकड़े हैं और इन आंकड़ों से इन्कार नहीं किया जा सकता है। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा था कि चाहे कोई सेन गुप्ता कमेटी हो या कोई भी कमेटी हो। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing should go on record except the speech of Shri Sanjay Nirupam.

(Interruptions) â€¦*

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Allow him to speak.

...(Interruptions)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I would just like to clarify one point. This issue was raised on the floor of the House several times. I myself have pointed out that the terms of reference which have been given to a particular body to determine and arrive at a figure are at variance. They vary from one committee to another committee. Therefore, three sets of figures are now currently available as Sharadji has pointed out and we have requested the Planning Commission to look into it and to arrive at a determined figure which is acceptable all over. That is the practice we are having not now but from day one of 1951. We are having such figures since then. Therefore, we need not be worried about this. The Planning Commission will reconcile and the final figure would be available. On the basis of that, Central allocation, Gadgil Formula allocation and Central plan assistance will be made. Now, one figure is there and on the basis of that even this year's allocations have been made. But perhaps it will have to be revised and that job is being done...(Interruptions)

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, इस देश में कितने गरीब हैं, इसका अंतिम रूप से फैसला तो प्लानिंग कमीशन करेगा। मैं प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अपनी बात कह रहा था। मेरा मन नहीं मानता है कि ...(व्यवधान) प्लीज शरद जी, आपने अपनी बात कही, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप नहीं तय करेंगे कि मुझे क्या बोलना है? ...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : वेयर तय करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : आप नहीं तय करेंगे, वेयर तय करेंगे। ...(व्यवधान) आप नहीं कह सकते, ...(व्यवधान) वेयर की परमीशन से मैं बोल रहा हूँ। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please cooperate with the Chair. Please address the Chair.

...(Interruptions)

श्री लालू प्रसाद : क्या यह मुम्बई की सहा मार्किट है?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please co-operate with the Chair. It is a very serious issue. Please address the Chair.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) अँ/ **

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): क्या ये नेता, सदन की बात भी नहीं मानेंगे? यह क्या बात हुई...*(व्यवधान)*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats. Shri Nirupam, you may please address the Chair.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: This is now becoming free for all.

...(Interruptions)

श्री संजय निरुपम : मैं बुनियादी तौर पर सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं मेरा, मेरे देश का, मेरे देश की चिन्ता करने वाले तमाम लोगों का अपमान है यह कहना कि इस देश में 78 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई 20 रुपये भी नहीं है...*(व्यवधान)* मैं इस चीज को नहीं मानता...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : इन्हें हटाइए...*(व्यवधान)*

MR. CHAIRMAN: Shri Sanjay Nirupam, you may please continue now. Nothing else will go on record.

*(Interruptions) अँ/ **

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please maintain decorum in the House.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the entire proceedings are being televised and the entire nation is watching you all.

...(Interruptions)

श्री संजय निरुपम : मैं अब दूसरे विषय पर आता हूँ...*(व्यवधान)* दूसरा विषय महत्वपूर्ण है कि पिछले छः वर्षों में यूपीए-1 और यूपीए-2, अगर तमाम बजट को देखा जाए तो पहली बार हमारे बजट में आम आदमी को एजेंडे पर लाया गया है...*(व्यवधान)* पिछले छः वर्षों में सोशल सैक्टर में जो खर्च किया गया, वह अलग और इस बजट में प्रणव बाबू ने क्या-क्या सुझाव दिए हैं, वह मैं बताना चाहता हूँ। हैल्थ सैक्टर में 25,154 करोड़ रुपये और एनआरएचएम (नेशनल रूरल हैल्थ मिशन) में 15,723 करोड़ रुपये...*(व्यवधान)*

श्री प्रणव मुखर्जी: आप अपनी बात कहिए, वे अपनी बात कहेंगे...*(व्यवधान)*

MR. CHAIRMAN: Please co-operate with the Chair. Please maintain decorum.

...(Interruptions)

श्री संजय निरुपम : हैल्थ सैक्टर के बाद मैं एजुकेशन सैक्टर की बात बताना चाहता हूँ। मैं बहुत फ़ला के साथ यह बात कहना चाहता हूँ कि जब विकास की योजनाओं का संदर्भ आया, तो यूपीए सरकार ने कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया, बल्कि एनडीए के जमाने की दो प्लैगशिप योजनाएं -- एक प्रधान मंत्री ग्रामसड़क योजना और दूसरा सर्वशिक्षा अभियान थीं, उन दोनों योजनाओं को यूपीए सरकार ने कंटीन्यू किया, क्योंकि यह कहीं न कहीं यह आम आदमी के हित की बात थी। सवाल राजनीति का नहीं है। ...*(व्यवधान)* सवाल राजनीतिक भेदभाव का नहीं है। आम आदमी का विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, पिछड़े इलाकों का विकास होना चाहिए, यह एक बड़ी चिंता थी। उसी बड़ी चिंता के तहत जिस तरीके से इस साल के बजट में हैल्थ सैक्टर में इतना बड़ा एलोकेशन किया, बिल्कुल उसी तरह से एजुकेशन सैक्टर में हमने 49,904 करोड़ रुपये का एलॉटमेंट दिया...*(व्यवधान)* यह बिल्कुल कमाल है, क्योंकि यह छः गुणा है। पिछले पांच-छः वर्षों का देखेंगे, तो एजुकेशन सैक्टर का बजट छः गुणा हो जाता है। उसके बाद सर्वशिक्षा अभियान पर 15 हजार करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। फूड सप्लाइ को बढ़ाकर 55, 578 करोड़ रुपये किया गया है। अब फूड सप्लाइ की सत्त्वाई मैं यहां रखना चाहूंगा। पिछले दिनों शरद पवार ने एक सवाल के जवाब में यहां बताया था कि इतना बड़ा अमाउंट, लगभग 50 हजार करोड़ रुपया हम फूड सप्लाइ पर खर्च कर रहे हैं। पीडीएस के जरिये जो गरीब आदमी हैं, उसे सस्ते भाव पर खाद्यान्न मिले, इस चिंता के साथ 50 हजार करोड़ रुपये का एलोकेशन इस साल दिया जा रहा है। लाखों टन माल अलग-अलग राज्यों में भेजा जा रहा है, लेकिन राज्यों की क्या स्थिति है ...*(व्यवधान)*

In the year 2009-10, against an allocation of 476 lakh tonnes of foodgrains under TPDS for the whole year, the off-take by the States and UTs upto February, 2010 has been only 390 lakh tonnes. मेरे कहने का आशय यह है कि केन्द्र सरकार की तरफ से गरीबों की चिंता रखते हुए बड़े पैमाने पर खाद्यान्न भेजा जा रहा है, लेकिन हमारी राज्य सरकारें उसे लिफ्ट भी नहीं कर पा रही हैं। ...*(व्यवधान)* यह इस साल की बात है। अगर आप कहें, तो पिछले वर्ष 2007-08 में अलग-अलग राज्यों की कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*

MR. CHAIRMAN: Please sit down. You can refute it later.

...(Interruptions)

श्री संजय निरुपम : वर्ष 2007-08 में गूजरात को ...*(व्यवधान)* 11 लाख टन माल भेजा गया, आवंटित किया गया और गूजरात की सक्षम सरकार ने सिर्फ 8

लाख टन माल उठाया। ...(व्यवधान)

वर्ष 2008-09 में गुजरात की सरकार, वह सक्षम सरकार है, आम आदमी का ख्याल रखने वाली सरकार ...(व्यवधान) उसे दस लाख टन का माल दिया गया, लेकिन सिर्फ साढ़े आठ लाख टन का माल उठाया गया। ...(व्यवधान) तमाम राज्यों की स्थिति है। ...(व्यवधान)

सभापति जी, दुर्भाग्यवश बाकी राज्यों में भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। ...(व्यवधान)

हम अपनी तरफ से लोगों की सेवा करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, फण्ड दे रहे हैं, खाद्यान्न भेज रहे हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing should go on record except what Shri Sanjay Nirupam is saying.

*(Interruptions) â€¦! **

श्री संजय निरुपम : लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन राज्य सरकारों की जवाबदेही है।...(व्यवधान)

SHRI YASHWANT SINHA : This is a very serious discussion on the Finance Bill. This House is aware that Budget is discussed in two parts. The general discussion on the Budget has already taken place in the earlier part of the Session. In this Session and today we are discussing the Finance Bill. The Finance Bill relates to the taxation proposals of the Government of India. Now, if he brings up extraneous issues, especially the controversial issues, then naturally there will be uproar in the House.

I would request the Leader of the House to please discipline his Member so that he does not cross the *laxman rekha*. There is a *laxman rekha* for this discussion. Why is he derailing this serious discussion? He is derailing this serious discussion. ...*(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: There is nothing inappropriate in what he said. He has given only figures. Shri Sanjay Nirupam, please continue.

...(Interruptions)

श्री संजय निरुपम : महोदय, यशवंत बाबू ने बहुत बुनियादी सवाल रखा है, मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम सर्वशिक्षा अभियान पर 15,000 करोड़ रूपए खर्च कर रहे हैं, तो वह रूपया एजुकेशन सेष से आता है जिसका उल्लेख हमारे वित्त विधेयक में होता है। वह एक टैक्स प्रपोजल है और टैक्स रेवेन्यू लेकर हम स्टेट्स को देते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकारें उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं, तो उस पर चिंता जताने का मुझे पूरा हक है।...(व्यवधान) I am not crossing *laxman rekha* at all. The hon. Member from Jharkhand should realize that. मैं बताना चाहूंगा कि सर्वशिक्षा अभियान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रूपए दिए गए हैं।...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : किसने दिया है? यह जनता का पैसा है, देश का पैसा है और आप कहते हैं कि हमने दिया है।...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : आपने सही कहा है, यह टैक्सपेयर का पैसा है, टैक्सपेयर पर दो प्रतिशत सेष लगाकर हमने यह पैसा लिया है, उस पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को एलिमेंटरी एजुकेशन देने की हमने योजनाएं बनाई हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं, यही मेरा कहने का आशय है। अगर यह कंट्रोवर्शियल है, तो I am really sorry. But this is the fact of the matter in our State administration. Please accept it. ...*(Interruptions)* वर्ष 2007-08 में अनस्पेंट फण्ड था 8728 करोड़ रूपए, जो राज्य सरकारों को खर्च करना था गरीब लोगों को एलिमेंटरी एजुकेशन देने के लिए और वे नहीं कर पाए। वर्ष 2008-09 में सर्वशिक्षा अभियान के लिए जो पैसे भेजे गए, उनका पूरे साल उपयोग नहीं किया गया, आखिरी तीन-चार महीनों में उसका इस्तेमाल किया जाता है। केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन इनको लागू करने की जवाबदारी राज्य सरकारों की है। अगर केन्द्र की योजनाओं को लागू करने में राज्य सरकारें सफल नहीं हो पा रही हैं, तो यह चिंता का विषय है।...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): आईपीएल पर टैक्स वयों नहीं लगाया, उसके बारे में भी बताइए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. Do not disturb him.

श्री संजय निरुपम : राज्यों के हिसाब से अगर सर्वशिक्षा अभियान का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने 90 प्रतिशत से ज्यादा फण्ड खर्च किया।

लेकिन मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ 57 प्रतिशत सर्व शिक्षा अभियान के तहत जारी फंड का ही इस्तेमाल कर पाई...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing else should go on record. Shri Sanjay Nirupam, please conclude.

*â€¦! .Interruptionsâ€¦! **

श्री संजय निरुपम : सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिहार सरकार को जो फंड दिया गया था पिछले साल, उसमें वह सिर्फ 42 प्रतिशत फंड का ही इस्तेमाल कर पाई और पूरे फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. Shri Sanjay Nirupam, please conclude. I give you one minute more. I

would request the other hon. Members to sit down.

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I told him to conclude.

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, बाकी सारी जो सेंट्रल स्पाँसर्ड स्कीम्स की क्या स्थिति है और राज्यों में किस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वह सारी डिटेल्स में सदन के पटल पर ले कर रहा हूँ, जिससे सारा सदन देख सके...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : सदन में ले कर देने तो सारा रिकार्ड हो जाएगा, इसमें हम तो नहीं जानते हैं कि यह क्या लिखकर लाए हैं और इसमें क्या गड़बड़ी है इसलिए यह सदन में ले नहीं होनी चाहिए...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have not given him permission to lay it on the Table of the House. Shri Sanjay Nirupam, please conclude.

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, मैं दूसरे विषय पर आना चाहूँगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, चीजें ट्रैक पर आ रही हैं और उसका असर नौकरियों के संदर्भ में दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में किन-किन सेक्टरों में कितनी-कितनी नौकरियाँ आ रही हैं, यह देखने से पता चल जाता है। मुझे याद है सन् 2008 के आखिरी तीन महीनों में आर्थिक मंदी के चलते साढ़े चार लाख नौकरियाँ चली गई थीं। लेकिन पिछले छः महीने में पिंक स्लिप का दौर नहीं चल रहा है। चाहे मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या कंज्यूमर्स गुड्स का सेक्टर हो, मतलब यह है कि हर सेक्टर में उछाल आ रहा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please cooperate. Shri Sanjay Nirupam, please conclude. I give you one minute more.

श्री संजय निरुपम : सभापति जी, लालू जी, मुलायम जी, शरद यादव जी जैसे वरिष्ठ सदस्य यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों की टोका-टाकी से त्रस्त होकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मुझे शर्म आ रही है कि आप लोगों ने सहनशीलता नहीं है। आप अपनी कमियाँ सुनने को तैयार नहीं हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Shailendra Kumar to speak now. Hon. Members, please sit down. Shri Shailendra Kumar, please start your speech.

श्री संजय निरुपम : मैं एक बात को यहाँ रखना चाहता हूँ...(व्यवधान) कभी आईपीएल की बात कहते हैं और कभी दूसरी कोई बात कहते हैं। मुझे इस प्रकार के शोर-शराबे और शोरगुल में अपनी बात नहीं रखनी है इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ और इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अतिरिक्त अनुदानों की मांग और विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, 2010 पर चर्चा का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी पक्ष-प्रतिपक्ष दोनों के सम्माननीय सदस्यों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था मैं माननीय यशवंत सिन्हा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, वे हमारे पुराने वित्त मंत्री रहे हैं। यह बात सच है कि बड़े गंभीर मुद्दे पर यहाँ सदन में चर्चा चल रही है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नॉन-सीरियस बातें हो रही हैं। देश के जिलों से लेकर नीचे तक यह देश आंकड़ों और कागजों पर चल रहा है। सुदूर गांवों में आप चले जाएं तो भारत की असली तस्वीर आपको दिखाई पड़ जाएगी। जिला नियोजन की बैठक, सतर्कता निगरानी की बैठक हम करते हैं तो अधिकारी आंकड़े और कागज दिखाता है लेकिन हकीकत उससे कुछ और होती है। केन्द्र कहता है कि प्रदेश को हमने इतना रुपया भेजा, लेकिन इतना ही खर्च किया, वह भी कागजों में। केन्द्र कहता है कि हमने इससे ज्यादा भेज दिया है तो वह भी खर्च होता है कागजों में, आंकड़ों में। आप गांव में जाएंगे तो आपको इस बात की हकीकत दिखाई पड़ेगी, वहाँ का असली स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा कि वहाँ कुछ खर्च नहीं हुआ है। बड़े अफसोस की बात है।

कल आदरणीय मुलायम सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया और दर्शाया कि यह बजट आम आदमियों का बजट है। यह बात सच है कि जब बजट पेश हुआ तो सामान्य बजट पर, हर विषय पर हमने चर्चा की थी, आज हमें टैक्स पर, आंकड़ों पर चर्चा करने की जरूरत है। भाई हरिन पाठक जी ने चर्चा की, मैं सुन रहा था, वे हकीकत बयान रहे थे। एक मुद्दे पर यहाँ बड़ी चर्चा हुई, उसके लिए जो धन दिया जाता है वह बीपीएल के लिए दिया जाता है। आज बीपीएल की पूरे हिंदुस्तान में सही रिपोर्ट नहीं है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। सक्सेना कमेटी कुछ कहती है, अर्जुन सेन कमेटी कुछ कहती है, योजना आयोग की रिपोर्ट कुछ कहती है, तेंदुलकर रिपोर्ट कुछ कहती है और रुरल डिवेलपमेंट की रिपोर्ट कुछ कहती है। ऐसा लग रहा है कि इस बजट को आम आदमी का बजट तो कह दिया, लेकिन हम आम आदमी और गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम सीरियस नहीं हैं।

आज जरूरत इस बात की है कि देश में, जो योजना का कमाने-खाने वाला आदमी है, जो खेतों पर मजदूर है, जो गरीब है, जिसके पास दो वक्त की रोटी नहीं है, जो एक वक्त ही रोटी खा रहा है उसके लिए इसमें कुछ गंभीरता से किया जाए। कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो जानवरों जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मिट्टी खाकर, पत्ते खाकर, जंगली फल खाकर अपना जीवन-व्यतीत कर रहे हैं। जिनके सिर पर आशियाना नहीं, वे धूमंतु बनकर धूम रहे हैं, उनके लिए कोई चिंता नहीं है। यहाँ केवल आईपीएल की बात, आंकड़ों की बात, कागजों की बात ही हम सुन रहे हैं।

कल भारत बंद हुआ, अभी सत्ता पक्ष की तरफ से बधाई मिली, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यह बात सत्य है कि आज पूरा हिंदुस्तान महंगाई की चपेट में है। यही कारण है कि कल लोग सड़कों पर निकले - चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, वकील हो, सभी ने बंद का समर्थन किया। सबके अंदर सरकार के प्रति आक्रोश है, चाहे वह केन्द्र की सरकार हो या राज्य सरकारें हों, लेकिन आक्रोश सबके प्रति है। हमें आज इस विषय पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

हमारे नेताजी ने यही बात कही थी कि जो गरीब हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, मुसलमान हैं, उनकी स्थिति बहुत बदतर है, उनके लिए आपने इस बजट में क्या प्रावधान किया है? आज बेरोजगारों की पूरी फौज है। पूरे हिंदुस्तान में रोजगार दफ्तर का आंकड़ा लिया जाए तो करीब 58 लाख नौजवान प्रतिवर्ष वहाँ पंजीकरण करा रहे हैं। आज आई.टी. सेक्टर के साथ-साथ अन्य तमाम सेक्टरों में हमने बहुत विकास किया है। लेकिन बेरोजगारी हमारे देश से खत्म नहीं हो पा रही है। यह भी बड़ी सोचने की बात है।

सभापति महोदय, टैक्स रिफॉर्म की बात हो रही थी। लेकिन जो टैक्स की चोरी करने वाले बड़े-बड़े धनाढ्य लोग हैं, जिनके पास बेहिसाब पैसा है, जो टैक्सों की चोरी कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? अब तक टैक्स की चोरी रोकने के लिए आपने क्या किया है? अभी आईपीएल की बात आई तो वहां इंकम टैक्स वाले पहुंच गये। इंकम टैक्स वाले कुछ घरानों के खिलाफ जांच करने पहुंच जाते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में टैक्स की चोरी इतने जबरदस्त तरीके से हो रही है कि अगर उस टैक्स की चोरी को हम पकड़ लें तो उस पैसे से हम गरीबों का उत्थान कर सकते हैं, हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। देश में आवश्यक वस्तुओं के दामों में जो वृद्धि हुई है, इसके बारे में आज यहां चर्चा हो रही है। लेकिन कल समाचार पत्रों में देखा गया कि अरहर की दाल के दाम में फिर से आठ रुपये की बढ़ोतरी हो गई। हमारे नेता जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने यही कहा था कि किसानों के हितों के बारे में यदि सोचें तो आपने जो फाइनेंस बिल पेश किया, उसमें डीजल के दाम बढ़ा दिये। जबकि आपको किसानों के हितों को देखते हुए डीजल के दाम कम करने चाहिए थे। जो अरहर की दाल के दाम बढ़े हैं, आप उसे कम करते। जो यूरिया तथा अन्य खादों के दाम बढ़े हैं, उन्हें आप कम करते तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ के लोग तालियां बजाकर इसका स्वागत करते। लेकिन हम लोग कागजों, आंकड़ों और केन्द्र द्वारा राज्यों को पैसे भेजने के बाद उन्हें दोषी ठहराने के अलावा अन्य कोई चर्चा नहीं कर पा रहे हैं।

इसलिए महोदय में कहना चाहूंगा कि यह बहुत गंभीर बात है और इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। अभी माननीय वित्त मंत्री जी जब खड़े हुए थे और उन्होंने एप्रोपरिशन बिल पेश किया तो वह मानसून के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि यदि मानसून प्रतिकूल होगा तो खाद्यान्न की कमी होगी और यदि अनुकूल होगा तो हमारा भंडार भरा होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भंडार भरा हुआ है तो आज देश के अंदर महंगाई क्यों है, आवश्यक वस्तुओं के दाम क्यों बढ़े हैं, इसका क्या कारण है? मैं समझता हूं कि हमें इस ओर भी सोचना पड़ेगा। हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि आयात-निर्यात में कितना संतुलन है। क्या हमने इनकी तरफ कभी ध्यान दिया है? केवल किसी चीज की कमी होती है तो उसे बाहर से मंगाइये और अपने देश में सप्लाई कीजिए। आज हमारे देश में इतना खाद्यान्न है, हम जब अपने क्षेत्रों में दौरा करने के लिए जाते हैं, मैं हर शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र को दौरा करने के लिए जाता हूं। मैं क्षेत्र में जाकर देखता हूं कि वहां फसल की कटाई हो गई है और किसानों के पास गेहूं का भंडार हो गया है। लेकिन आज की तारीख में कहीं भी कांटे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, ताकि किसान अपना गेहूं या धान कांटे पर ले जाकर बेच सके। उसकी फसल को साहूकार औने-पौने भाव पर ले जाता है। वह उन्हें बेचने के लिए मजबूर है। लेकिन हम यह व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हम केवल कागज और आंकड़ों की बातें यहां करते हैं।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा था कि देश का काला धन जो विदेशों में जमा है, हम उसे वापिस लाने का काम करेंगे और हम स्विस बैंक से वार्ता कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने इस बात की घोषणा की, उसके बाद आप चले जाइये और देखिये कि यदि स्विस बैंक में पैसा होगा तो मैं सदन की सदस्यता छोड़ दूंगा। वहां से सब पैसा निकल चुका है। वह पूरा पैसा यहां आईपीएल में लग गया। आईपीएल पर यहां चर्चा हुई थी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आईपीएल इतना बड़ा मुद्दा था कि जिसमें देश और विदेश का सारा काला धन लगा था। हमने उस पर चर्चा नहीं की, उसे हमने गंभीरता से नहीं लिया। आज यहीं कारण है कि महंगाई बढ़ी है और गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। आज मध्यम वर्गीय लोगों की हालत बड़ी खराब है। लेकिन अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। आज देश के अंदर यह स्थिति है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस आईपीएल का मुद्दा यहां उठना चाहिए था और उसके बारे में स्पष्ट फिगरर्स यहां आनी चाहिए थी, वह हम सामने नहीं ला पाये। हमने उसी में टैपिंग का मामला घुसेड़ दिया और टैपिंग मामले के कारण आईपीएल दब गया। आज जरूरत इस बात की है कि विदेश में जो काला धन है, उसे देश में लाकर हमारे विकास की जो परियोजनाएं लम्बित पड़ी हुई हैं, उनमें उस पैसे को लगाया जाए और जो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, उनके बीच में वह पैसा खर्च करने की आवश्यकता है।

मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि यहां खाद्यान्न की बात हो रही थी। आज भी अगर देखा जाए तो आस्ट्रेलिया, ब्राजील, मैक्सिको या तमाम छोटे-छोटे ऐसे देश हों,

जो खाद्य प्रसंस्करण है, चाहे फ्रूट का हो, चाहे सब्जियों का हो, वे 90-95 परसेंट करते हैं, आज हिन्दुस्तान में केवल हम दो परसेंट कर पा रहे हैं। न हमारे पास खाद्य के भंडार हैं, न फूड प्रोसेसिंग की कोई व्यवस्था है, हमें इस ओर भी सोचना पड़ेगा। अगर हम 40-50 प्रतिशत फूड प्रोसेसिंग भी कर लें तो देश के अंदर महंगाई खत्म हो जायेगी, गरीबों को खाना मिल जायेगा। आज यह स्थिति है। मैं ज्यादा कुछ

न कहकर यहीं पर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हमारे और भी सम्मानित सदस्य इस विषय पर बोलना चाहेंगे।

श्री बंस गोपाल चौधरी (आसनसोल): महोदय, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनेंस बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने देश की स्थिति के बारे में इस हाऊस में बताया। उन्होंने अभी हमारे देश की इकोनॉमी की जो स्थिति है, उसके बारे में चर्चा की। The hon. Finance Minister is a very senior Parliamentarian and senior politician of the country. यह बात उन्होंने इस जगह पर रखी है। एक बात यहां पर बताना बहुत जरूरी है कि पिछली बार जब माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर बजट पेश किया था, उस समय हम लोगों ने देखा कि that Budget was a floor strategy. That was a flawed strategy to meet the deficit by increasing indirect taxes. यह जो हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया है, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने के बाद हमारे देश का जो गरीब आदमी है, हमारे देश का जो मध्यम वर्ग है, उसके ऊपर आपने ज्यादा प्रेशर किएट किया है। खासकर ये जो पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं, जिसके लिए हम लोगों ने यहां पर बहुत सारी चर्चा की। आज टैक्सेशन के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन हम लोगों ने तीन, चार बार इस हाऊस में इसके बारे में चर्चा की है। यह कोई बात नहीं है कि सरकार के खिलाफ कुछ चर्चा करने का मौका मिल गया और इसीलिए हम चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा का सवाल यह है कि आज टैक्स किसके ऊपर ज्यादा है, किसके ऊपर टैक्सेशन ज्यादा हो रहा है? पेट्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा टैक्सेशन होने के बाद अगर हम इसका एनालॉसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि the rate of food inflation in the country is nearing around 20 per cent. Such reliance on indirect taxes to finance deficit budget creates burden of financing the deficit on the poor. It is entirely the pressure on the poor.

Secondly, what I want to put here is that mobilising of substantial revenues from customs and excise duties on petroleum products is going against the general people of the country. संजय निरुपम जी हमारे मित्र हैं, पहले यहां ज्यादा टोकाटकी चल रही थी। यह बात सही है कि सरकार तो बजट को देश के आम आदमी के लिए बता रही है, लेकिन आम आदमी के लिए बजट बताना एक चीज है, लेकिन बाहर जो चीज चल रही है,

आज पूरा देश इसके बारे में सोच रहा है कि टैक्स का बर्दन किसके ऊपर है? पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनॉलायसिस सेल, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का है, इसे हम लोगों ने मैनुयुफैक्चर नहीं किया है। इसके एनालॉयसिस के मुताबिक सेंटर ने उसे कितना एलोकेट किया है, 77000 करोड़ रुपया उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट से टैक्स लेवी के माफिक वर्ष 2008-09 में किया है। इन कॉन्टेस्ट सब्सिडीज़ के लिए और दूसरी जगह से 74 हजार करोड़ रुपया वर्ष 2008-09 में सब्सिडी के रूप में दिया है। इससे सरकार ने कलेक्शन कितना किया? What is the net amount that the Government has earned from this? It is more than Rs. 2000 crore; more than Rs. 2000 crore from the general people. There is surmounting pressure among the common people, among the poorer sections, among the middle class through the increased prices in respect of the petroleum products.

16.00 hrs.

This is one thing. Secondly, I would like to mention from the 12th Report of the Standing Committee on Finance regarding the tax collection from the corporate sector. You will be astonished to see this. The hon. Finance Minister, through his Department, supplied this data to the Standing Committee. What is the observation of the Standing Committee? The Standing Committee is not satisfied regarding the corporate income tax collection. The Report says:

"This is evident from the fact that corporate income tax collection in 2009-10 increased by only 13.47 per cent as compared to 2008-09 while there has been a fall in income-tax collection by 0.41 per cent."

इन्कम टैक्स फॉल कर गया जब दूसरे टैक्स में 63.6 प्रतिशत ज्यादा कलेक्शन हुई।

It was 63.6 per cent resulting in overall tax collection increased by 8.51 per cent.

कोरपोरेट टैक्स के कलेक्शन का जो टारगेट था, उसमें केवल 13.47 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है।

I will now go to other figures regarding the revenue foregone. This is also from the Report of the Standing Committee on Finance. It says:

"The revenue foregone as a result of tax concession in the year 2009-10 amounts to Rs.5,02,299 crore, which is 79.54 per cent of the aggregate collection in this year. Within this, corporate tax revenue foregone is Rs.79,554 crore; personal income-tax revenue foregone is Rs.40,929 crore."

16.02 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

Mr. Chairman, Sir, this information has been given in the Report of the Standing Committee on Finance, and the Department has supplied this information. Miserably the Department has failed to collect the tax from the corporate sector. It is a failure on the part of the Department to collect these taxes, which we have categorically stated during the discussion on the Budget. We are now stating this in Parliament again and again that the Government, with a clear-cut policy, is not trying to collect the corporate tax; and in contrast they are trying to create surmounting pressure on the general public to categorically take the money from the hands of the common people. This is the economic scenario and this is the entire scene of the country now.

At that time, the hon. Finance Minister was just stating about the IIP growth rate. What is the fact? I am coming to this point. Now, it has been discussed and mentioned that we are coming out from the global recession. What is the scenario? ग्लोबल रिसेशन से हम लोग कैसे निकलेंगे? This is based on the fact. हमें सरकार के आंकड़े से आगे बढ़ना होगा।

जनवरी 2010 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स 17.6 प्रतिशत और फरवरी महीने में 15.1 प्रतिशत रहा। लेकिन सरकार को छिपी हुई बात को भी लोगों को बताना चाहिए।

It is a fact that in the IIP growth rate, consumer durable grew by 29.9 per cent. 'Consumer durable' means automobile, fridge, TV, etc. It had grown by 29.9 per cent, that is, 30 per cent. कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स पर ज्यादा खर्च किया जाता है, इसमें खाना और छोटे हाउसहोल्ड्स आते हैं। Here the increase was only 2.3 per cent.

It shows very clearly the gap between the rich and the poor. The Taxation Policy of this Government has increased the gap between the rich and the poor. The Government is always pampering one section, that is the corporate sector. The Government is not taking money from the corporate sector. In this regard there is a data that has been supplied by the

Finance Ministry to the Standing Committee on Finance.

Now, I am coming to the point regarding Special Economic Zone (SEZ). What is the scenario from the Finance Ministry? What is the tune of loss that the Government has incurred here? We have gathered the data from the report of the Finance Ministry, which says that on account of Indirect Taxes, the Government has incurred an estimated loss of revenue to the tune of Rs. 48,881 crore; and on account of Direct Taxes, they have incurred an estimated loss of revenue to the tune of Rs. 57,531 crore during this period. Thus the total estimated loss of revenue is to the tune of Rs. 1,06,412 crore. It is just because the Government was trying to push the Special Economic Zone. They have said that to build the Special Economic Zones, they were giving some concessions and other things. At that point of time, this was the loss.

There has been another loss in the Special Economic Zone. You would be astonished to know that the Government has already declared the tax duty exemption for the SEZ. What is the observation of the Standing Committee on Finance on this? They have observed: "It is recommended that the Ministry of Finance, Department of Revenue should set up a Study Group to undertake a comprehensive review on the desirability of tax duty exemptions to SEZs, which will *inter alia* bring out the cost of tax duty exemptions vis-à-vis the benefits.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you have another speaker also from your party. So, please conclude now.

SHRI BANSA GOPAL CHOWDHURY : Yes, Sir. Just now, I am concluding.

Sir, what I am trying to say here is this. We have already demanded to set up a Joint Parliamentary Committee. Our party leader, hon. Shri Basu Deb Acharia has demanded in the House for setting up a Joint Parliamentary Committee to conduct an inquiry into the affairs of the IPL. The IPL is going on in the whole country; it is a scandalous thing; it is only gambling, which is going on. What is in the report that has been submitted by the Finance Ministry? They have allowed them categorically to deposit the tax after 21 months. For whom is it? For whose interest have they allowed this thing?

Therefore, Sir, I cannot support this Fiscal Policy of the Government. Lakhs of people had opposed the Fiscal Policy of the Government yesterday, and today, I also oppose the Fiscal Policy of the Government lock, stock and barrel.

With these few words I conclude.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for allowing me to participate in the Finance Bill, 2010-11.

On more than one occasion, the Prime Minister has highlighted the possibility of achieving a double digit growth. The dream of 10 per cent growth seems within reach. But this optimism is driven more by short-term factors such as demand driven by high level of consumption and Government expenditures. Factors that truly push an economy ahead such as higher productivity or increases in output for worker and technological progress, are still low in India's radar.

The Finance Minister has taken upon himself two major tasks— one, implementation of the direct tax code and second, the Goods and Services Tax, both by 1st April 2011.

The draft code is already in the public domain, and the adjustment in personal taxation made in this year's Budget has made it easier to implement the new code. Of these, the GST roll-out will fundamentally change revenue realisation, the transparency of tax collections and reduction of administrative cost. It is likely that there would be significant revenue gains to the Centre as well as the States once GST is in place, most of it coming out of capturing revenue leakages into the system.

The recommendation of the 13th Finance Commission on GST appears that it has been contributed by people who have no knowledge and experience of goods and services taxation and its implementation. The recommended rates for GST at five per cent for Centre and 7.5 per cent for the States are unrealistic because now the service tax, the Central excise and customs duty are all at 10 per cent. The recommendation to include liquor excise and power tariff into GST are also unrealistic.

Bringing into the direct tax net the presumed incomes of the self-employed and the traders is certainly a valid proposition but a timid start had been made in this direction. Tax system, especially direct tax on income and wealth is so much distorted by incentives and exemptions that what are only apparently high rates of taxation which are in fact quite low rates as against notional 30 per cent in the case of income tax actually turned to be less than 20 per cent.

The fiscal policy adjustments since the mid-eighties were supposed to provide incentives for what is euphemistically called a viable class of individuals as well as corporations to work more and earn more and in the process not only to consume more but also save and invest more.

A progressive structure of direct taxes has to be created; even indirect taxes too should be so designed that their incidence should fall heavily on items of upper class consumption and slightly less so on items of middle class consumption with only items of the most essential mass consumption left out of the tax net. Another relevant norm should be distribution of incomes in India for a fair and just society.

The Government has proposed to impose an export duty of Rs.2,500 for a tonne of raw cotton. This is ill-advised and ill-timed. There is little commercial or revenue justification for the action, coming as it does at the fag end of the season. Raw cotton shipments of nearly 55 lakh bales have already been made and foreign exchange worth Rs.6,000 crore has already been earned. Registered contracts pending shipments are estimated at 20 lakh bales. Export duty on them will generate around Rs.75 crore.

Clearly, revenue considerations could not have been central to the decision to impose export duty at this point of time. Now, country enjoys cotton surplus. Cotton imports, on the other hand, are open and duty free. With this new fiscal burden on exports, it is going to send out a negative signal to cotton growers. The cotton export tax imbroglio calls for greater coordination among various Ministries—Agriculture, Commerce, Finance and Textiles, on the one hand and various stake-holders, on the other. When in 2008-09, the Government had paid out a five per cent incentive for cotton exports, why are you penalising the same activity now?

I would like to get an answer from the Government. We are given to understand that the collection of direct tax revenue has registered an increase. My good friend from Bengal was mentioning some part of it. But I would say the direct tax revenue has registered an increase from Rs.2,30,598 crore in 2008-09 to Rs.2,50,232 crore in 2009-10, that is an increase of only 8.51 per cent. Out of this increase – this is more interesting to note – the contribution of other taxes is 63.6 per cent whereas the contribution of corporate tax is only 13.47 per cent and that of personal income tax is actually negative, that is, -0.41 per cent. The percentage increase in direct tax collection is below the target of 15 per cent. However, there are 8.45 lakh active companies registered in the country.

I am dismayed to find that despite the progress the corporate tax has not been growing commensurate with the growth in number, scale and profits of the companies. The negative growth registered in respect of personal income tax is also inexplicable. When there is large increase in corporate salaries, how is the personal income tax showing a minus figure? What does this suggest? Is it laxity on the part of the Government to enforce revenue collection? Or is it because of the reduction in surcharge? I would like to ask that the performance of Income Tax Department with regard to tax assessments and enforcement be reviewed in the context of shortfall in indirect tax and shortfall in direct tax collection.

The huge amount of revenue loss to the exchequer is by way of tax exemptions and deductions which aggregate to more than Rs.1.50 lakh crore. It is reported that the revenue foregone in respect of corporate income tax during the year 2009-10 increased to Rs.79,554 crore while for personal income tax it was Rs.40,929 crore. Revenue foregone on account of direct tax incentives or deductions given to export promotion schemes etc., amounted to Rs.30,000 crore and more. When both direct and indirect taxes are taken into account, it works out to a massive Rs.5,02,229 crore in 2009-10, which is almost – one would be surprised to note – 80 per cent of the total revenue collections. Such exemptions have been increasing leaving an adverse impact upon revenue buoyancy.

My suggestion would be that while formulating the proposed Direct Tax Code, the Finance Minister should review the present regime of tax deductions and exemptions, which is obviously loaded in favour of corporates and big tax payers at the expense of small tax payers and the salaried class. Most of these exemptions have outlived their purposes. Why can you not put in place a policy of exemptions? This would substantially reduce the percentage of tax foregone and also encourage household savings, foster social security and be generally favourable to small tax payers.

The Finance Bill 2010 has proposed to increase the rate of minimum alternate tax named MAT from 15 per cent to 18 per cent, which has greatly dismayed many.

It is certainly on the higher side. I believe that we should have a moderate rate of MAT at 10 per cent. The companies which are deriving profits from the industrial undertakings set up under the Special Category States with huge investments and availing the benefits under Section 801(A), 801(B) and 800(1)(C) etc. are being badly impacted. The exemptions which are supposed to benefit them get neutralised due to narrow difference between MAT rate of 19.93 per cent and the effective corporate tax rate of 20.6 per cent. I would suggest that the book profit of such companies be computed after

deducting the amount available for deduction under Chapter-6(A) of the Income-Tax Act to be restricted to 70 per cent of the company's gross total income.

Under Section 80-1B(10) tax holiday is available only for housing projects approved before March 31st, 2008. This cut-off date must be extended by another five years specially for lower and middle income housing projects. The interest deduction limit of Rs. 1.5 lakh should be linked to Rs. 3 lakh in income from house property under Section 24 of the Income-Tax Act.

Sir, service tax is another important aspect which we should also deliberate upon. Service tax has been imposed on construction of residential complexes having more than 12 houses and this adds to the cost of construction. The tax is discriminatory as it does not cover construction of residential bungalows. Why do you impose service tax on renting of commercial establishments? It should be withdrawn. It should not be levied on rentals from healthcare, non-conventional energy projects and non-profit and charitable institutions.

The Finance Bill seeks to amend Section 2(15) of the Income-Tax Act to provide that "the advancement of any other object of general public utility" shall continue to be a charitable purpose if the total receipts from any activity in the nature of trade, commerce or business or any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business do not exceed Rs. 10 lakh in the previous year. This has been done by inserting a proviso to Section 2(15) to read as under : "Provided further that the first proviso shall not apply if the aggregate value of these receipts from activities referred to therein in Rs. 10 lakh or less in the previous year". This proposal, though welcome, will mitigate the problem to some extent of smaller, charitable organizations, no doubt, but it is not adequate enough for bigger ones.

Sir, I am dealing with only three-four aspects. I am dealing now with the charitable organizations. Originally the term charitable purpose under the same Section was defined to include relief of the poor, education, medical relief and the advancement of any other object of general public utility. The problem has arisen because the Finance Act, 2008 amended the said definition by inserting a proviso to Section 2(15). We had deliberated it during that time and this explained the advancement of any other object of general public utility "stating that it shall not be charitable purpose if it is involved in carrying on any activity in the nature of trade, commerce or business for a cess or fee or any other consideration".

The then hon. Minister of Finance had assured in this House on 29th April, 2008 that "genuine charitable organizations will not, in any way, be affected".

Mr. Chairman Sir, through you, I would like to draw to the attention of the Finance Minister that unfortunately, nothing useful has emerged thereafter. I hold the view that the underlying objective of tax exemption of charitable organisation should be the end use of its income and not the generation of income. I had hoped that this problem would be taken care of this year, but what has come out is not satisfactory. Why can't you substitute a proviso by saying that the first proviso shall not apply if the aggregate value of receipts from activities referred to therein is not more than 49 per cent of the aggregate receipts? I think, that will suffice to a great extent and support the charitable organisations.

Now I come to Indirect Taxes. I will deal only with three or four aspects. The stimulus may have helped Indian corporate sector, tide over the financial crisis faster than other countries, but at the same time, it is giving tough time to the apex indirect tax body, that is, CBEC, which is under pressure to mop up about Rs. 40,000 crore. I was told by a reliable source that indirect tax collection during the period April-December, 2009 has declined by 18.1 per cent as compared to previous year. Out of this, Central Excise Duty declined by 13.2 per cent and Service Tax by 6.5 per cent. The reason that the Government may give is that it is because of the global meltdown, reduction in rates of customs duty, Central excise duty and Service Tax, but can we forget that the manufacturing sector has registered an impressive growth in the second half of 2009 and range of Service Tax has also been broadened? The disproportionate fall in collections can only be attributed to evasion of duty or laxity on the part of the Department in enforcement.

Even till date, you do not have any mechanism to maintain data centrally in respect of the service providers who have escaped the tax net by not registering and not paying the applicable Service Tax. If you do not maintain a supporting database, how would you widen the tax net of Service Tax? There is a need to create a reliable database of service providers, identify potential tax-payers as well as evaders, and progressively bridge the gap between tax-paying and tax-evading service providers. I have some questions. Is it true that a substantial amount of revenue collected from the Service Tax had not been deposited with the Exchequer during the last three years? Is it true that the loss of revenue on this count has increased from year to year and stood at Rs. 48.06 crore during the year 2008-09, out of which only Rs. 27.62 crore have been realised so far?

Another problem, which this House discusses rarely, is that there is an acute shortage of manpower at all levels in the Income Tax Department. Working strength of Additional CIT and JCIT is 33.51 per cent less than the sanctioned strength

so also is the situation in the case of DCIT and SCIT where the shortage is 24.25 per cent , while in the case of Inspectors, it is 11.40 per cent. I am sure that the Finance Minister understands the problem, but should take steps to mitigate this problem so that work does not suffer on this account.

Before I conclude, I must draw the attention of this House regarding the levy of Re. 1 per litre as Central Excise Duty on petrol and diesel, which is coupled with restoring a basic custom duty of five per cent on crude petroleum and 7.5 per cent on diesel and petrol. This has only intensified inflammatory pressure on the economy as transportation cost.

The Bill proposes concessional customs duty of five per cent on all solar imports. Similarly, complete excise exemption has been granted for domestic purchases. But, service tax exemption in relation to activities for installing and commissioning of solar generation system also needs to be extended.

This Bill proposes to levy a clean energy cess of Rs. 50 per tonne of coal produced in India. ...(*Interruptions*) Sir, I will just take one minute to speak. This is an important point dealing with green technology. These are very innovative ideas, which the Finance Minister has brought out, but I would like to dwell on them in a very limited way. This Bill proposes to levy a clean energy cess of Rs. 50 per tonne of coal produced in India as also on imported coal. This is a welcome step and will help in developing cleaner and greener technologies. Since CENVAT credit is permissible on all inputs used in manufacture of excisable goods, I would suggest that the proposed cess should also be notified as CENVATable inputs for generation of electricity in captive power plants to neutralise the cascading affect.

Lastly, why does not this Government impose a higher tax on *bidis* and cigarettes? We all know that the hon. Finance Minister has quit smoking. It would save two crore lives if taxes are raised to internationally-recommended levels. Further, higher taxes could also result in additional yearly revenue of Rs. 183.20 billion for the Government.

With these words, I conclude.

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, I express my thanks to you for permitting me to speak on the Finance Bill.

The Budget presentation is usually awaited with much expectation and anxiety since it gives relief to the tax payers and incentives to various sections of people. But this year's Budget has become more or less corporate-specific rather than country-specific and people-specific because of faulty economic policies. Similarly, this year's Finance Bill is a document conferring concessions to corporates and penalizes the middle class.

The Finance Bill, 2010 provides for imposition of service tax on immovable property. The levy of service tax in preferential location charges -- on which appropriate stamp duty is paid -- will increase the cost of housing for the consumers. Overall, the indirect tax on any immovable property is now around 16 per cent. The introduction of new service tax in this sector will bring tax level to 20 per cent on immovable properties. The middle class and the upper middle class are already heavily reeling under the impact of price rise.

With the introduction of service tax on immovable properties, their lifelong desire of owning a house will remain a dream. May I request the Finance Minister to have a second look on this issue and reduce the level of service tax considerably, if not possible to abolish it totally?

There is another view that till the Sale Deed is executed by the purchaser of the property, the ownership rests with the seller. The services provided by the sellers would be in the nature of self-service and do not attract service tax. This issue, I fear, would raise needless litigation.

Mr. Chairman, Sir, another aspect in which the Finance Ministry should show some leniency is with regard to the High Court admitting applications against the assessment of Wealth Tax. The Finance Bill provides an amendment to Section 27 (3B) of the Wealth Tax Act which says, "The High Court may admit an application after the expiry of the period of 90 days referred to in sub-section (3), if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the same within that period." I request the hon. Finance Minister to extend the time limit from 90 days to six months as provided in Section 256 (2A) of the Income Tax Act. This will enable the assesseees to have breathing time to prepare an appeal in the High Court.

Let me now touch upon the provisions dealing with Income-tax. My revered leader and former Chief Minister of Tamil Nadu Puratchi Thalaivi Amma has requested that the first tax slab may be expanded up to Rs. 5.0 lakh. May I request the hon. Finance Minister to look into the reasoning behind the appeal of my leader, and raise the exemption limit to a reasonable level? Similarly, the Income-tax limit for women and senior citizens may also be raised considerably.

Sir, an explanation is being added to Section 65, Clause 105, sub-clause (zzc) of Finance Act, 1994 explaining the meaning of the expression 'commercial training or coaching centre. It is being given retrospective effect from 1.7.2003. However, there are many Tribunal judgments nullifying the retrospective effect. In this regard, should an assessee pay tax for the past period with interest? This needs an explanation. Let the Ministry clarify whether commercial training or coaching centre would include spiritual and religious centres and training.

Sir, at this juncture, I cannot resist the temptation of highlighting the fact that during this year alone, nearly Rs. 5.0 lakh crore in the form of Direct and Indirect Taxes have been written off to corporate sector. While the Government showed undue favour to corporate sector, the Budget hits the farmers very badly. Nutrient base subsidy results in rising prices of fertilizer, cost of agricultural operations, and in the ultimate suffering of farmers. Further, the Government has also reduced the quantum of food subsidy directly affecting the poor.

Sir, fiscal deficit continues to worry us. The Finance Minister was happy to present the fiscal deficit at 5.5 per cent of GDP for the year 2010-11. The continuing flaw of implementing Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 is not only a cause of concern, but also invites further trouble in the otherwise healthy economy. I think, it is apt to quote what the U.S President Barack Obama once said on this subject, "We cannot continue to spend as if deficits do not have the consequences, as if the hard-earned money can be treated like monopoly money."

Sir, though the issue I wish to raise now is not directly related to the subject under discussion, I would like to anyhow bring it to the attention of the House, which relates to the total quantum of unspent amount.

As much as Rs.1.00 lakh crore out of the money allocated to various Ministries remained unspent between 2005-06 and 2007-08. There has been unspent provision of Rs.100 crore or more out of the total of Rs.59,000 crore. If the Government remains immune to such shortcomings, I fear that the fruits of development may not reach the intended beneficiaries.

I understand that in a rough economic weather, our Finance Minister has done his best. However, a few suggestions, which I have touched upon in my speech, may be given serious consideration.

Finally, a good doctor offers the right diagnose and prescription. What the economy needs is the timely administration of medicine. Hon. Finance Minister is an efficient administrator. I am sure that he will administer correct, proper medicine in time and keep Indian economy healthy.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Mr. Chairman, at the very outset, I express my views not for this Bill. I rise to oppose the Finance Bill 2010. I am not dealing with each and every point of the Bill. I want to confine myself particularly to the point with regard to the tax structure. It is already mentioned by several speakers about the tax structure, widening the tax slab. What is desirable, what is expected from the Government is that they will impose more tax over the affluent sections, over the rich sections, over the corporate sectors. But this structure is quite reverse. It is evident that the person whose income is Rs.8.00 lakh, saves more than Rs.50,000 of his usual income-tax liability when compared to the tax rates of 2009-10. Similarly, in the case of an individual, whose income is below Rs.5.00 lakh saves Rs.20,000 only. It should be the reverse. So, I would request the Government, I would request the hon. Finance Minister to have a second look about the tax structure with regard to the slabs of the income-tax.

The second point is with regard to the surcharge. The existing surcharge of ten per cent on domestic companies is proposed to be reduced to 7.5 per cent. For what should we have all these things? About the tax deduction at source, it is proposed to raise the threshold limit for payment. I am referring to what is there in the nature of payments. About winning from lotteries and cross-word puzzles, the existing threshold limit of Rs.5,000 has been extended to Rs.10,000. The existing threshold limit for winning from horse race is Rs.2,500 and now it has been extended to Rs.5,000. About the payment to contractors, the existing threshold limit of Rs.20,000 has been extended to Rs.30,000 for a single transaction. In the case of aggregates, during the first year, it was Rs.50,000 and now it has been extended to Rs.75,000.

All these things are meant for whose benefit? Limit on insurance commission has been raised from Rs.5,000 to Rs.20,000. Limit on commission or brokerage is raised from Rs.2,500 to Rs.5,000. Limit on rent is increased from Rs.1,20,000 to Rs.1,80,000. Limit on fee for professional and technical services is raised from Rs.20,000 to Rs.30,000. This threshold is increased not for the *aam aadmi*. This threshold is increased for the affluent sections, for the contractors, for the brokers.

The Bill allows small companies to convert into limited liability partnerships without attracting capital gains tax liability. What is there under the limits of turnover of gross receipts for the purpose of audit of accounts and presumptive taxation? Every person carrying business is required to get his accounts audited if the total sales turnover or gross receipts in

business exceed Rs.40 lakh. Now it is proposed to be increased to Rs. 60 lakh. Investment-linked deduction for hotel business is hundred per cent in respect of all or any expenditure of capital nature.

Charitable purpose is already mentioned by hon. Member Mahatabji and I would also refer to it. The existing concept is getting diluted with this amendment. For the purposes of Income Tax, charitable purpose has been defined in Section 2(15) which amongst others includes the advancement of any other object of general public utility. However advancement of any other general public utility is not a charitable purpose if it involves the carrying on of any activity in the nature of trade, business, or any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business. What is going to be amended? It is proposed to amend Section 2(15) to provide that the advancement of any other object of general public utility shall continue to be a charitable purpose if the total receipts from any activity in the nature of trade, commerce or business (it was excluded earlier but now it is included) or any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business does not exceed Rs.10 lakh in the previous year. So, this sort of an amendment is coming.

I will come to the projects now. We have talked about projects at several times on several occasions. It is our expectation that every project should be completed within a stipulated time. But what is there so far as the projects is concerned? Under the existing provision, 100 per cent deduction is available in receipt of profits derived by the undertaking. The project has to be completed in four years. It is proposed to increase the period from four years to five years. So, if we club all these things together, it is revealed that this Bill is nothing but a stimulus package to the contractors, to the affluent sections, to the high salary earning people, to the corporate sector, and to the companies.

That is why, I strongly oppose this Bill. I think, the Government is talking about the *aam aadmi* but nothing is discussed about *aam aadmi* and about the indirect taxes, etc. much has been said earlier. I do not want to repeat due to paucity of time. If the Government is serious and honest to the words of *aam aadmi*, it should revisit this Bill. This is as per my understanding and for these reasons, I oppose this Bill. With these words, I conclude.

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। फाइनेंस बिल पर पार्टी की तरफ से मैं अपना रुख स्पष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और मैं उस व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जो हमारे वित्त मंत्री हैं। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब से वह यहां सांसद और मंत्री रहे हैं और मैंने पहला बजट 1980 में सुना, जब मुझे कुछ होश आया तो वित्त मंत्री के नाते माननीय पूणव मुखर्जी साहब का बजट ही मैंने सुना था। मैं महाभारत को कोट नहीं करना चाहूंगा, चूंकि यहां लड़ाई हो जायेगी कि कौन दुर्योधन है, कौन पांडव है। लेकिन इस हाउस के यह भीष्म पितामह हैं। हमारी विपक्ष की नेता बता रही थीं कि आप सबसे वरिष्ठतम हैं। यदि मेरे शब्दों से आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे छोटा समझकर माफ कर दीजिएगा। व्यक्तिगत तौर पर आपके खिलाफ मेरा कुछ नहीं है। मेरा जितना इंटरैस्ट इस देश के प्रति है, उससे ज्यादा आपका इंटरैस्ट होगा, उससे ज्यादा आपका अनुभव होगा।

महोदय, कुछ बातें जो हमारे मित्र संजय निरुपम साहब ने कहीं, वैसे वह फाइनेंस बिल पर चर्चा नहीं कर रहे थे। लेकिन कुछ बातें जो मुझे पता हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हल्ला ब्रिगेड में कुछ उन्हें बोलना नहीं चाहता था। पहली बात उन्होंने कही कि कांग्रेस के समय में गरीबी घटी है। आज प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि 27 परसेंट गरीबी है और उसी के आधार पर बीपीएल कार्ड्स बने हुए हैं। उसी के आधार पर आप पैसा दे रहे हैं और जो मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी इसलिए है, क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस का भी मैम्बर हूँ। उस नाते तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को प्लानिंग कमीशन ने मान लिया है और वह कह रहा है कि 37 परसेंट गरीबी है। अब गरीबी बढ़ी है या घटी है, इस बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए।

दूसरे सवाल में उन्होंने गुजरात के बारे में कहा कि गुजरात में पीडीएस सिस्टम से चीजें उठाई नहीं जा रही हैं। यहां गुजरात के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। गुजरात के कच्छ इलाके में भूकम्प आया और हम वहां फटे-पुराने कपड़े लेकर गये। क्योंकि हम झारखंड के हैं तो हमें लगता है कि कहीं भूकम्प आ गया, कहीं राष्ट्रीय आपदा आ गई तो हम लोगों को कपड़े-लते लेकर जाना है। इसलिए जब हम लोग फटे-पुराने कपड़े लेकर गये तो वहां के लोगों ने लेने से मना कर दिया। गुजरात गरीब न था, न है और न होगा, यह मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ।

इसके अलावा वहां जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज में लोकल लोगों को रोजगार के लिए जो बीस परसेंट एमओयू गवर्नमेंट ऑफ गुजरात साइन करती है, आज तक वहां एक से दो परसेंट आदमी मिले हैं और आज भी वे जगहें खाली रहती हैं या बाहर के लोग वहां जाकर रोजगार करते हैं। गुजरात कभी गरीब नहीं रहा है। इसलिए आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर कमेंट था, वह कहीं न कहीं गलत था। उसके बाद आपने फाइनेंस बिल से अलग हटकर चर्चा शुरू की तो आपने कहा कि हम टैक्स पेयर्स के पैसे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि टैक्स पेयर्स के पैसे से यह देश नहीं चल रहा है। यह जो प्लान एलोकेशन है, माननीय वित्त मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो वह मुझे सुधारेंगे, 80 परसेंट पैसा कर्जा है, यह देश कर्जा से चल रहा है और हम कर्जा से दर्जा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच है और मैं उसी को कोट करना चाहूंगा, जो हरिन पाठक साहब ने सुबह कोट किया था, प्वाइंट नम्बर 188 - उसमें उन्होंने आम आदमी के साथ-साथ नेशनल इंटरैस्ट की बात कही थी। मैंने अपना भाषण शुरू करने के पहले ही कहा है कि मेरा जितना नेशनल इंटरैस्ट होगा, उससे ज्यादा पूणव मुखर्जी साहब का होगा, उनका अनुभव उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन इस बजट को देखने के बाद और स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का मैम्बर होने के बाद जो कुछ मुझे समझ में आया, वह यह है कि इस देश का नेशनल इंटरैस्ट आईपीएल हो गया। आईपीएल क्या है, रहस्य, रोमांच, आनन्द और पैसा है।

उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, यह चंद्रकांता उपन्यास है, चुनार के किले का क्या रहस्य है, वह रहस्य आज तक पता नहीं चला है। जब से स्टैंडिंग

कमेटी फाइनेंस ने इसके बारे में चर्चा की और जो मैंने पूछा था, उसका कोट मैं बताऊंगा तो लगा कि यह हरि अनन्त: हरि कथा अनन्ता: है। जितने मुंह उतनी बातें हैं, दशानन की तरह, कोई कुछ कह रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक लाख बीस हजार करोड़ रूपए का इनडायरेक्ट कन्सेशन आईपीएल फ्रैंचाइजीज को दे दिया। कोई स्विट इक्विटी की बात कर रहा है और स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस का मेंबर होने के नाते हमने जब इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछा:-

"On being asked about the break-up of revenue foregone by way of tax exemption, for high profile bodies like BCCI, IPL, and the franchisee for the last three years, the Ministry furnished the following details. The details are what about IPL, etc. Till the assessment year 2006-07, the benefit of exemption was given to BCCI, because it was charitable organization."

बीसीसीआई क्या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यह आप खुद बता सकते हैं? मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बीसीसीआई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वह कहीं से भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह बात सत्य है, लेकिन होता यह है क:

"The Director, Income Tax Exemption, Mumbai, vide letter no. and dated 28.12.2009 has informed the BCCI that the registration 12 (A) granted to BCCI does not survive from the date on which the objects of BCCI were charged 1.6.2006, in view of the decision of the hon. Allahabad High Court, in Agricultural Institute Versus the Union of India. In view of the communication from the DIT, the assessment order for 2007-08 was passed, treating BCCI as association of persons."

यह चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना गया है और इसके ऊपर साढ़े तीन सौ करोड़ से ज्यादा बकाया है। हमें उससे डेढ़ सौ करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है। उसका जो इंटेस्ट पार्ट है, वह अलग है। उसके बाद यह होता है क:

"The Indian Premier League, started in 2008-09 and therefore, the income of the franchisee owners has been shown in the income tax returns for the assessment year 2009-10 onwards, since the income of franchisee of IPL is not yet to be assessed; therefore the total tax assessed and collected from IPL and the franchisee for the last three years cannot be provided at this stage."

इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तीन साल से आईपीएल चल रहा है, रहस्य, रोमांच चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इस साल आपको दौं सौ करोड़ रूपए टीडीएस मिलता है। पिछले साल जब ये टीमें साऊथ अफ्रीका चली जाती हैं, क्या आपने उसके बारे में कभी अपने अधिकारियों से पूछा है? क्या साऊथ अफ्रीका वह आरबीआई की परमीशन से गया? फॉरेन करेंसी वहां जो खर्चा हुआ, उसका आदेश किसने दिया? हम जब जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो आपको वह मांग गलत लगती है। मुझे तो लगता है कि मेरी पार्टी जेपीसी की जो मांग कर रही है, वह कम है।

सभापति महोदय : वह अभी अंडर कंसीडरेशन है।

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, अगर हमारी पार्टी वित्त मंत्री जी का इस्तीफा मांग ले तो यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। मैं इसका कारण भी बताता हूँ। आपके पास बहुत से कानून हैं, आपके पास इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वैल्थ टैक्स एक्ट 1957 है, एक्सचेंज टैक्स एक्ट 1987 है, बेनामी ट्रान्जक्शन एक्ट 1988 है, सुपर प्रोफिट्स एक्ट 1963 है, कम्पनीज एक्ट 1964 है, कम्पलसरी डिपोजिट एक्ट 1974 है, फाइनेंस एक्ट 2004 है, फाइनेंस एक्ट 2005 है, प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रीवेंशन ऑफ रमगलिंग एक्टिविटीज 1974 है, यदि इनकी बात करें तो आपके पास 20 एक्ट ऐसे हैं, जिनके आधार पर आपको या आपके अधिकारियों को रोकना चाहिए था। इस देश में तीन साल से इतना बड़ा तमाशा हो रहा है, इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए आपके पास इनफोर्समेंट एजेंसी है। इनफोर्समेंट एजेंसी क्या है, कमिश्नर डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सचेंज एंड कस्टम है, सेंट्रल बोर्ड का सीधा कमिश्नरेट है, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलीजेंस यूनिट है, डायरेक्टर ऑफ इनफोर्समेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नॉरकोटिक्स है, चीफ कंट्रोलर ऑफ फैंवटरीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रैंचाइजीज में जो घपले की बात आ रही है, एफआईबीपी बोर्ड आपके पास है।

17.00 hrs.

क्या आपके एफआईबीपी बोर्ड ने परमीशन दी थी, जिसके आधार पर यह फ्रैंचाइजी आए थे। यह जो फ्रैंचाइजी आए थे, चाहे वे मॉरीशस रूट से आए थे या किसी अन्य रूट से आए थे, क्या आपने उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की थी। मुझे तो लगता है कि मेरी पार्टी जो जेपीसी की बात कर रही है, वह कम है। सरकार को बचाने के लिए उस मांग को मान लेना चाहिए। आपसे पहले के वित्त मंत्री श्री चिदंबरम साहब हों या आप हों, मैं आपको बैनीफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ कि 7-8 महीने तक आप आईपीएल का बेनामी ट्रान्जक्शन देखते रहेंगे। आईपीएल आपके लिए छोटा विषय हो सकता है। 11 लाख करोड़ रूपए के बजट में चार-पांच सौ हजार करोड़ रूपए किसी कागज में खत्म हो सकते हैं, लेकिन इस देश को इसके बारे में जानने और समझने का अधिकार है।...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम : इसका फाइनेंस बिल से क्या लेना-देना है?

श्री निशिकांत दुबे : इसका फाइनेंस बिल से ही लेना-देना है। यह टैक्स का पैसा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record, except Shri Nishikant Dubey,

...(Interruptions) â€! *

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, कांग्रेस के सदस्य जो बोल रहे हैं, इन्होंने सभी बातें फाइनेंस बिल से हटकर कहीं। कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, इस संदर्भ में लखनऊ की एक कहानी है, नवाब वाज़िद अली शाह का ज़माना था और लखनऊ विलासिता में डूबा हुआ था। आपने मुझे छेड़ा है तो सुनिए, कॉरस कॉर्प की डील तीन बार बढ़ाई जाती है, लेकिन रिपोर्ट यह आती है...(व्यवधान) अधिकारी गलती के कारण इस तरह का काम कर रहे हैं...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Dubeyji, please address the Chair.

श्री निशिकांत दुबे : कॉमनवेल्थ का बजट तीन बार बढ़ाया जाता है। 2जी और 3जी के बारे में पॉयनियर अखबार में जो दिया गया है, जिसे हम सब देख रहे हैं, पिछले बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 35 हजार करोड़ रुपये हम 3जी से लाएंगे, लेकिन नहीं ला पाए। आज भी नहीं आ पाया है। यह टैक्स का सवाल है, फाइनेंस बिल का सवाल है, आप विलासिता के रंग से ऊपर उठिए और राजधर्म का निर्वाह कीजिए...(व्यवधान)

सभापति महोदय : निरूपम जी, आप शांत रहिए।

श्री निशिकांत दुबे : आप सुनना चाहते हैं, तो सुनिए...(व्यवधान) * में सीएजी की रिपोर्ट को कोट करना चाहता हूँ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: It would not go on record.

(Interruptions) â€! *

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): महोदय, प्रफुल्ल पटेल जी तो मंत्री हैं, उनका नाम लेना तो सम्मान की बात है...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: In what context, is he mentioning his name? नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री निशिकांत दुबे : महोदय, यह सरकार कैसे चल रही है, यह सीएजी की रिपोर्ट में है। यह कम्प्लायंस रिपोर्ट है। यह टैक्स कलैक्शन और सर्विस टैक्स कलैक्शन के बारे में है-

"National Aviation Company of India Limited in Mumbai Service Tax Commissionerate undertook non-scheduled chartered flight and Haj flights and recovered Rs.4499 crore for the period 2006-07 up to September, 2007. These flights were not open to general public and were not operated according to a published time-table. Audit observed that the said flights were non-schedule flights and hence the assessee was liable to pay service tax on such services."

लेकिन सरकार क्या कर रही है-

"On the matter being pointed out in November, 2007, the Ministry admitted the audit observation."

इसका मतलब यह है कि उसने मान लिया कि हम से गलती हो गई और हम सरकार को चुना लगा रहे हैं। गलत बोल रहे हैं।

"Two show cause notices demanding service tax of Rs. 189.18 crore had been received and the assessee had paid Rs. 95 crore only."

आपकी सरकार आपको टैक्स नहीं दे रही है, एक ही चीज नहीं हुई, उससे भी आगे देखिए।

17.06 hrs.

(Dr. M. Thambidurai in the Chair)

"M/s Air India in Mumbai Tax Commissionerate engaged the services of M/s AVN Amro and foreign branches of ICICI bank and SBI bank for arranging loans such as PDP loan, Axim loan, and commercial loan etc and paid fees Rs. 28.52 crore. During the period from December 2006-08 however, applicable service tax of Rs. 3.49 crore was neither paid by service provider nor was it paid by the recipient of the service. This was recoverable with interest."

यह सरकार इस ढंग से चल रही है और केवल सर्विस टैक्स का मामला नहीं है, करस्टम का भी है। ये सारी सीएजी की रिपोर्ट है, कम्प्लायंस रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, फाइनेंस बिल पर ही बात हो रही है। हम सर्विस टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और करस्टम की बात करते हैं। वह यह कह रहा है -

"M/s Air India and Indian Airlines operated flights in the domestic sector were paying Excise Duty on the stock

of aviation fuel held by them in the fuel tank on the termination of international trade.

Audit scrutiny revealed that while M/s Indian Airlines adopted the basic price declared by BPCL including Excise duty for adjusting rebate of Central Excise " "

इससे 50 लाख का चूना है। बीपीसीएल को पैसा नहीं दे रही है, यह सरकार चल रही है। आज ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे पता चला कि 5400 करोड़ रुपए का घाटा है और आपने 1200 करोड़ रुपए तेल कंपनियों के रखे हुए हैं। हमने आठ सौ करोड़ रुपए पिछले बजट में दिए और इस साल 1200 करोड़ रुपए दिए। मैंने कहा कि ये केवल आग में घी डाल रहे हैं। मैं यह कहता हूँ कि आपकी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कैसी चल रही है, आपको टैक्स नहीं दे रहा है, यह आपका सोचने का विषय है, मेरा नहीं है। आप इसके बदले यह कर रहे हैं कि आप चुन-चुन कर हमारी जो स्मालर स्टेट है, जिसे एन.डी.ए. सरकार ने कंसेशन दिया हुआ था, आपने 31 मार्च को उसका कंसेशन खत्म कर दिया। उसमें दो सरकारें हैं - एक हिमाचल की सरकार और दूसरी उत्तरांचल की सरकार है। आपने यहीं कंसेशन जम्मू-काश्मीर को सन् 2017 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया। जम्मू-काश्मीर प्रोस्पेक्स हो, यह हम भी चाहते हैं। मैंने एक व्यक्ति के नाते पिछले साल वहां बीपीओ सेंटर खुलवाया है। अभी दो महीने पहले पांच सौ आदमियों की नौकरी मैंने लगवाई है। उसका जब उद्घाटन हुआ था तो मैं मुख्य मंत्री जी के साथ वहां मौजूद था। जम्मू-काश्मीर से जितना प्यार आपको है, उससे कम प्यार एक व्यक्ति के नाते मुझे नहीं है। मैं साल में पांच बार वहां जाता हूँ, लेकिन उत्तरांचल का क्या होगा, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? यदि सन् 2013 तक उसे और हिमाचल को टैक्स कंसेशन मिला हुआ था, वित्त मंत्री जी, आपने उसे किस आधार पर खत्म किया, इसके बारे में आप यदि मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं झारखंड से आता हूँ और मैं आप ही के प्लानिंग कमीशन में दस दिन पहले मीटिंग करने गया था। वहां एक भी रोड नहीं है, स्कूल और अस्पताल नहीं है, वहां अस्पताल में आक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप हमें कहीं न कहीं एक पैकेज दीजिए। संथाल-परगना के लिए पैकेज दीजिए, जिस तरह से बिहार से अलग झारखंड हो गया, उसी तरह से आप संथाल-परगना के लिए भी पैकेज दीजिए, क्योंकि वहां कुछ नहीं है। आप वहां से कोयला ले जा रहे हैं। आपने अभी वलीन एनर्जी सेस की बात की है और यह हमारे लिए सबसे बढ़िया टोपिक है कि आप 50 रुपए पर-टन वलीन एनर्जी के लिए ले रहे हैं। लेकिन वहां के जो लोग टी.बी. से ग्रसित हो रहे हैं, हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो छः-सात टन की रोड बना रहे हैं, उस पर जो 40-40 टन के कोयले चल रहे हैं, वहां आप एक अस्पताल नहीं दे रहे हैं। सर्वशिक्षा अभियान में तीन हजार स्कूल ऐसे हैं, जहां बाउंड्री वाल नहीं है। आप जो पच्चास रुपए की रायल्टी वसूलने की बात कर रहे हैं, क्या आपने उन इलाकों के बारे में सोचा है या उन्हें नक्सलवाद में धकेल देने का, मार देने का इरादा है? द्वादश ज्योर्तिलिंग में से एक लिंग वैधनाथ देवघर है, वह बिहार और झारखंड की रिलिजियस केपिटल है। वहां इफ़रट्रवर नहीं है, लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। मैं लगातार लिख चुका हूँ। माननीय बंसल जी यहां बैठे हुए हैं, मैंने उन्हें भी कहा कि 40-40 साल से हमारे जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, आप उनके बारे में सोचिए।

सभापति महोदय, हमारी पार्टी के पास ढाई घंटे का समय है और हमारी ओर से केवल बोलने वाले तीन स्पीकर हैं। इसलिए मैं एक घंटा बोलूंगा।

इसलिए वित्त मंत्री जी, मेरा यह मानना है कि जब आप प्लान बनाते हैं, जब आप रीजनल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो उन इलाकों को जरूर ढूंढ़िए, उन इलाकों में जरूर खर्चा कीजिए। जब आप रिबेट देते हैं और इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, तो जम्मू-काश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट पर आप ध्यान दीजिए, लेकिन जो छोटे स्टेट हैं, उत्तरांचल है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है और बिहार जैसा राज्य है, जहां कि बंटवारे के बाद केवल पानी और बालू रह गया है। उसके बारे में निश्चित तौर पर सोचिए, ताकि इस देश का समग्र विकास हो पाए।

महोदय, इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि आपने मिनरल ऑयल की बात कही है। उसमें कहा है कि-

"As per Section 44Bb, in case of Non-Resident who is engaged in the prospecting or for extracting or production of mineral oil, income shall be computed at ten per cent of the aggregate."

और उसी के आधार पर आपने सैक्शन 115-ए में फ़ी ऑफ़ टैक्नीकल सर्विसेस की बात कही है, लेकिन मैं दो चीजें कोट करना चाहता हूँ। नानी पालकीवाला ने दो बातें कही हैं। वे इस देश के सबसे बड़े टैक्स एक्सपर्ट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि

"The avalanche of ill-conceived changes and complications which may be compendiously called legal litter is mainly responsible for the poor quality of our tax administration."

और उससे आगे बढ़कर वे कहते हैं कि

"Taxes are the life blood of any government but it cannot be overemphasized that the blood is taken from the arteries of the tax payers and therefore, the transfusion has to be accomplished in accordance with the principles of justice and fair play."

इसमें पेय प्ले क्या है? नेल्फ राउंड के इतने बिडिंग हो चुके हैं और पिछली बार जो नेल्फ राउंड हुआ, उसमें से कितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए? इस देश की किटी में कितने फॉरेन एक्सचेंज आए? इस बार नेल्फ राउंड करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ़ पेट्रोलियम, वह किस आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ़ फायनेंस से लड़ रही है, वह किस तरह का कंसेशन मांग रही है, क्या हम उसे टैक्स कंसेशन दे पाने की स्थिति में हैं या जिन्हें हमने नेल्फ राउंड में ऑयल एंड गैस एलॉट कर दी है, क्या कनवल्डेड कांस्ट्रैक्ट के बाद भी, हमने सभी को एवॉर्ड कर दिया है? मुझे एक कहानी पता है, एक केस पता है, उसे आप जानते हैं। मैं केवल उसे कोट करना चाहता हूँ। उसमें ओ.एन.जी.सी. का भी 40 परसेंट स्टेक है। उसमें वर्ष 2003-04 से किस चीज की लड़ाई चल रही है, ओल्ड सैशन रायल्टी एंड न्यू सैशन रायल्टी। कनवल्डेड कांस्ट्रैक्ट है। आपका लॉ डिपार्टमेंट बार-बार कह रहा है कि वह कनवल्डेड कांस्ट्रैक्ट है, आप पी.एस.सी. साइन कर लीजिए, लेकिन आप साइन नहीं कर

रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम न्यू सेशन रायल्टी लगाएंगे, वे कह रहे हैं कि हम ओल्ड सेशन रायल्टी देंगे। यदि हम, वित्त मंत्री जी, ओल्ड रायल्टी कॉन्ट्रैक्ट पर ही साइन कर लेते, तो आप यह बताइए कि अभी तक कितना पैसा आपकी किटी में आ गया होता और आप जिस प्रकार से सात-आठ साल से किसी प्रोजेक्ट को डिले किए हुए हैं या आपकी सरकार डिले कर रही है, तो जब न्यू सेशन रायल्टी मिलेगी, तो क्या आपने फॉरेन एक्सचेंज की टर्म में देखा है या टैक्स कलैक्शन के टर्म में देखा है कि किस तरह की पॉलिसी हम यहां लाना चाहते हैं। इसके बारे में आप अमेंडमेंट कर रहे हैं। अमेंडमेंट करिए। नेल्स राउंड में कितना टैक्स कलैक्शन होगा, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए।

आपने सैटलमेंट कमीशन की एक बात अपनी बजट स्पीच में कही थी। आपने सैटलमेंट कमीशन बनाया है और उसमें असेसमेंट होकर जो सैटलमेंट ऑफिसर आएगा वह आपका ही होगा। आपने इसमें कहा है कि-

"It is now proposed to include proceedings for assessment or reassessment resulting from search or as a result of requisition of books of account or other documents or any assets within the definition of a case which can be admitted by the Settlement Commission."

सैटलमेंट कमीशन में कौन अफसर जाएंगे। सैटलमेंट कमीशन में वे ऑफिसर जाते हैं, जो आपके कृपापात्र हों और यह सरकार केवल आप ही चलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम कम से कम ऐसा केस नहीं बनाएंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां कहीं न कहीं परेशान हों। यही जे.एम.एम. ब्राइबरी केस में हुआ, यहीं वोट दिया गया, यह तो पता चला कि हमारे कुछ सदस्यों के एकाउंट में पैसे चले गये, तीन करोड़, चार करोड़, पांच करोड़ रुपये पकड़े गये, लेकिन किसने पैसे दिये, क्या आज तक हम उसका पता लगा पाये हैं? इस तरह के असेसमेंट्स जो हम सर्व के बाद सैटलमेंट कमीशन को देना चाहते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। इसके पीछे उद्देश्य सी.बी.आई. के बाद कहीं सैटलमेंट कमीशन को यूज करना तो नहीं है? कहीं (*Interruptions*) *à* *€* * जैसे लोगों को बचाने की साजिश तो नहीं है या हमको बचाने की बात करें, चाहे आपको बचाने की बात करें, हमको चन्दा देने की बात करें या आपको चन्दा देने की बात करें, जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो कि गलत धन्धा कर रहे हैं, जो कि टैक्स बचा रहे हैं, उसे बचाने के लिए तो कहीं यह सैटलमेंट कमीशन नहीं है? कहीं न कहीं इसमें ट्रांसपैरेंसी नहीं है और जब सरकार में कल से हम इधर से चिल्ला रहे हैं कि आप सी.बी.आई. का मिसयूज कर रहे हैं, कल हम कहेंगे कि सैटलमेंट कमीशन का मिसयूज हो रहा है। हो सकता है कि कल जब आप इस तरफ आये तो हम पर इस तरह से आरोप लगायें। मेरा यह मानना है कि जो प्रोसेस चलता है, जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं, उसके बारे में अपने भविष्य को देखकर यदि इसका निर्णय करें तो ज्यादा बैटर होगा।

कुछ चीजें, जो मैं सी.ए.जी. रिपोर्ट से कोट करना चाहूंगा, उसमें सी.ए.जी. रिपोर्ट क्या कह रही है, सी.ए.जी. रिपोर्ट करंट्स के बारे में कहती है, अभी आपने यह रिपोर्ट ऑन दि प्लोर ऑफ दि हाउस रखी है:

"Custom revenue of Rs. 5,136 crore demanded up to March, 2009 was not realized by the Department at the end of the financial year 2008-09. Of these, Rs. 1,947.81 crore was undisputed. "

इस देश में दो लाख करोड़ रुपया ऐसा है, जो कि हमारा पैसा है, आपका पैसा है, सरकार का पैसा है, इस पार्लियामेंट का पैसा है, लेकिन हमने नहीं लिया। हम कर्जा ले रहे हैं, 80 परसेंट कर्जे से यह देश चल रहा है, लेकिन यह जो अनडिस्प्यूटेड पैसा है, यह भी हम नहीं ला पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे हैं:

"However, even this amount had not been recovered for a period of ten years. There is a need to strengthen the recovery mechanism of the Department."

वह क्या कह रहा है कि डिपार्टमेंट जो है, वह गड़बड़ चल रहा है। क्या हमने किसी को आज तक इसके लिए जिम्मेदार बनाया है? आज सर्विस टैक्स की चोरी हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी हो रही है, अभी रेवेन्यू फोरगोन के बारे में कई बातें भर्तृहरि मेहताब साहब ने बताई कि एस.ई.जैड. को हम किस तरह से कंसेंशंस दे रहे हैं। इसमें कई चैप्टर्स हैं, जिसमें सी.ए.जी. कह रहा है कि ई.ओ.यू. क्या कर रहा है, ई.ओ.यू. से डी.टी.ए. में जब जा रहा है, उसकी कैसे टैक्स चोरी हो रही है, एस.ई.जैड. से डी.टी.ए. में जब जा रहा है तो उसकी किस तरह से टैक्स चोरी हो रही है। एक-एक केस के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। क्या एस.ई.जैड. पालिसी को ओवरलुक करने की आवश्यकता है, क्या उससे मैक्सिमम कैसे टैक्स आये, उसके बारे में अपने को जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हम इस देश को बेच देने की स्थिति में आ जाते हैं तो मेरा यह मानना है कि सी.ए.जी. ने जब इस तरह के वक्थंस उठाये हैं तो डिपार्टमेंट में हमने कभी किसी को इस तरह से रैस्पॉसिबल बनाने की कोशिश की है?

2-3 चीजें और मैं कहना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी, हम आपसे मिले थे और कुछ सजेसंस पार्टी के नाते हमने डी.टी.सी. के बारे में दिये थे। दो चीजें जो आप 2011 से लेकर आ रहे हैं, मैं यह मानता हूँ कि पार्टी के नाते जो हमने व्यक्तिगत कहा था, ऑन दि प्लोर ऑफ दि हाउस मेरी आपसे अपेक्षा है कि जो आप नया टैक्स कोड ला रहे हैं, इसमें जो स्माल और मिडिल इनकम ग्रुप है। उसे डेढ़ लाख रुपये शायद 2004 में माननीय यशवंत सिन्हा जी ने किया था, अभी 1.60 लाख रुपये हैं। हम लोगों ने यह डिमांड की हुई है कि आप उसको टैक्स कन्सेशन में तीन लाख रुपये तक ले जाइये, जो पर्सनल इण्डीविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, उनकी लिमिट तीन लाख रुपये कर दीजिए, जो महिलाएं हैं, उनकी 3.5 लाख रुपये कर दीजिए और जो सीनियर सिटीजंस हैं, उनके लिए आप चार लाख रुपये कर दीजिए, अभी डी.टी.सी. आने वाला है, इसलिए सजेशन के नाते मैं कुछ आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। जो गवर्नमेंट एम्पलाइज़ हैं, वे कहीं न कहीं परेशान हैं। उनका हाउसिंग और कन्वेस का सवाल है, वह यदि अभी प्रोजेक्ट रिजिम में ही आप रखें तो शायद उचित होगा। जो फॉरेन कंपनीज के टैक्स हैं, वह 40-50 परसेंट से घटाकर 25 परसेंट कर दिया है, इसीलिए मेरा मानना है कि जो आल इंडिविजुअल्स फंड्स के एलएलपी की जो टैक्स रिबेट हैं, उसे 30 परसेंट से घटाकर 25 परसेंट कर दें, तो शायद हमारे कंट्री के प्यूवर के लिए ज्यादा बढ़िया होगा।

हाउसिंग सेक्टर के संदर्भ में हरिन पाठक जी ने कुछ सजेशन दिए हैं। यदि उस सजेशन को हम इंप्लीमेंट कर सकते हों, यदि दस लाख से बीस लाख तक के टैक्स को जो अभी 66 हजार या एक लाख रूपए जो एडीशनल टैक्स देना पड़ता है, यदि इसके लिए डीटीसी में इस तरह का कोई प्रोवीजन हो सकता है, तो उसको करना चाहिए। सोशल सिविलिटी के ईश्यू हैं, क्योंकि आजकल हम लोग भी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं जो हमारे पुराने या बुजुर्ग लोग

हैं, वे कहीं न कहीं दुखी हो रहे हैं। उनके रहने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं हो रही है। उनकी टैक्स की लाइबेलिटी बढ़ रही है। उनके लिए ओल्ड एज होम बनाने की व्यवस्था में मुश्किल पड़ रही है। सोशल सिक्योरिटी में जो गरीब हैं, जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, कम से कम बड़े-बुजुर्गों के लिए या जो गरीब आदमी हैं, उनके लिए, बीपीएल फेमिली के जो लोग हैं, एपीएल फेमिली के लोग भी बहुत ज्यादा अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते हैं, इसलिए सोशल सिक्योरिटी का आस्पेक्ट हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्रिन्चोर हैं, उनके लिए प्रिजम्प्टिव टैक्स के रेट्स को हम कैसे कर सकते हैं? डीमिंग आफ टोन्स को कैसे कर सकते हैं? मेटेनिंग रिकार्ड्स एंड बुक प्रूफिड्स के बारे में कुछ सोचना चाहिए।

महोदय, वेस्टिबल रितीजियज ट्रस्ट के बारे में अभी बातचीत हुयी। पिछली बार तो आपने दस लाख का कंसेशन भी खत्म कर दिया था। यह देश मठ से चलता है, यह देश मंदिर से चलता है। आज भी कोई जब भूखा या बुजुर्ग हो जाता है और जब भूखा होता है तो कहीं न कहीं वह मंदिर की आस में जाता है और वही उसको खिलाता है। मैं हरिद्वार कुंभ गया था, वहां बहुत सारे रितीजियस ट्रस्ट चलते हैं। वहां भूखे अपने कपड़े और सामान लेकर जाते हैं और वहां खाते हैं। गीता प्रेस एक ऐसी प्रेस है जिसकी किताबें आज भी सबसे सस्ती हैं। आप इस तरह के टैक्स रितीजियस ट्रस्ट पर लगा देंगे, तो जो जेन्युइन वेस्टिबल ट्रस्ट हैं, उसके बारे में आप कहीं न कहीं आप अपने अधिकारियों को कहिए कि जेन्युइन रितीजियस ट्रस्ट के बारे में सोचें। सभी को एक समान हांकने से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है, इसके बारे में भी री-लुक करना चाहिए कि इसमें किस आधार पर एग्नेटी को हम रख सकते हैं? जो नॉन रेजीडेंट इंडियंस हैं, जिनका कि इस देश को मनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनकी परिभाषा गॉट रिवायर्ड इंडियंस हो गयी है। उसको हम किस तरह से हम स्ट्रेंथेन कर सकते हैं और उनके ऊपर कैसे विश्वास डाल सकते हैं? यह डीटीसी में इन्वैल्यूड करना चाहिए। टैक्स हेंवेन की बात आयी है, आईपीएल की बात आयी है तो टैक्स हेंवेन की बात आती है। कभी केनमैन आइलैंड की बात होती है, कभी मारीशस रूट की बात होती है, तो यह कैसे खत्म हो जिससे कि हमारा फारेन डायरेक्ट रेवेन्यू एफडीआई जो आ रहा है, वह भी कहीं परेशान न हो और हमारे कानून में जो इस तरह के लूप होल्स हैं, वे कैसे रूकेने? इसके बारे में विशेष तौर पर आपको डीटीसी में देखना चाहिए। को-आपरेटिव कैसे आगे बढ़ेगा? टैक्स हालीडे के बारे में जैसा मैंने कहा कि एरिया बेस्ड टैक्स हालीडे हो, उसमें जो एरिया है, अपने को प्लानिंग कमीशन से वूज कर लेना चाहिए, तब जाकर डायरेक्ट टैक्स कोड का मामला कहीं न कहीं निपटेगा।

महोदय, जीएसटी आ रही है। जीएसटी के बारे में राज्यों के कुछ कंसर्न हैं। जीएसटी आप लागू कर रहे हैं, तो राज्यों के जो कंसर्न हैं, उसको कहीं न कहीं देखना चाहिए। उनका जो कंसर्न है, जो निम्न आय वाले राज्य हैं, उनको लगता है कि इस जीएसटी से कहीं न कहीं उनको नुकसान होगा। निम्न आय राज्य में झारखंड भी आता है, बिहार भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है और छत्तीसगढ़ भी आता है, तो कहीं न कहीं उनके जो कंसर्न हैं, उसको जीएसटी में हमें देखना चाहिए। राज्यों की स्वायत्ता पर उनको लगता है कि कहीं न कहीं जो हम सॉवरेन स्टेट हैं, कहीं न कहीं फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे ऊपर कुछ न कुछ जो जिम्मेदारियां हैं, वह खत्म होंगी। इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। जीएसटी के कारण उनका जो नुकसान होगा, उसकी कैसे भरपाई करेंगे? जीएसटी के कुछ मुद्दे हैं।

वित्त मंत्री जी माफ करिएगा, आपके मंत्री जितनी भी स्पीच देते हैं, वह यह कहते हैं कि आपके एनडीए के शासन में क्या था और हमारे शासन में क्या है? यह सुनते-सुनते 11 महीने से मैं थक गया हूँ। मुझे यह लगा कि 63 साल इस आजादी को हो गए, मुश्किल से 7-8 साल दूसरे ने शासन किया होगा, 55 साल तो आप ने ही शासन किया है। यदि हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे कि एनडीए के शासन में यह टैक्स रिजीम था, उसके ऊपर इतना टैक्स कलैक्शन था, इतना रूरल डैवलपमेंट में खर्च हो रहा था, इतना इरीगेशन में खर्च हो रहा था, सर्व शिक्षा अभियान में इतना खर्च हो रहा था, तो हम केवल ढसना ढगाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। 2800 बीसी और 1800 बीसी में देश की क्या स्थिति थी, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि उस वक्त भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। जब हम उससे आगे बढ़े, 1872 का सैन्सस कह रहा है कि 99 प्रतिशत जनता के पास रोजी-रोटी के लिए बहुत चीजें थीं। अकबर का मुगल अम्पायर कह रहा है कि 1600 ईस्वी में हमारा फाइनेंस साढ़े सतह मिलियन पौंड था। ग्रेट ब्रिटेन का 1800 में 16 मिलियन पौंड था, मतलब हम 1600 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन से ज्यादा आगे थे। The historian of the Cambridge University Mr. Angus Maddison said:

"India's share of the world income fell from 22.6 per cent in 1700, comparable to Europe's share of 23.3 per cent to a low of 3.8 per cent in 1952."

एंजस मैडिसन कह रहे हैं कि इंडिया का शेयर 22.6 प्रतिशत था और 1700 में यूरोप की इनकम 23.3 प्रतिशत थी। मेरा कहना है कि आप जब देश के बारे में बात करने जाएंगे, तो जो भी जवाब दीजिए कि 1991 में बजट क्या था, 1996 में बजट क्या था, अगर आप कहेंगे तो मैं वह आंकड़ा भी बता दूंगा। जितने लोग हुए हैं, वेद, पुराण है, महात्मा गांधी ने कहा है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, सबसे आंतिम आदमी की बात कही है, सबसे गरीब की बात कही है। इसीलिए हमारे वेद में कहा गया है, पंडित कहते हैं - यानि कानिश्च पापानि, जन्मांतर कृतानिच् तानि-तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे-पदे। वे कह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म केवल एक बार होता है और उसे अपने को गरीबों के प्रति लगाना चाहिए। हमारे वेद-पुराण की स्थिति रही है - सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। यदि उसे देखना चाहते हैं तो इससे ऊपर उठकर अपने को उद्देश्य बनाने के लिए लगना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): सभापति महोदय, आज मान्यवर वित्त मंत्री जी ने जो फाइनेंस बिल उपस्थित किया है, मैं उसके समर्थन में दो शब्द बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। किसी भी राष्ट्र के वित्त के संदर्भ में नीति बनानी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी हो, कोई भी पार्टी सरकार में रहे, उस पार्टी की विचारधारा और उस नीति को बनाने में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके अनुभव और विचारधारा को साथ रखते हुए नीति बनाई जाती है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ और न ही मुझे अर्थशास्त्र के बारे में कोई ज्ञान है। मैं जमीन का आदमी हूँ और पिछले 35 साल से संसदीय राजनीति में काम कर रहा हूँ। मैं इस संसद में तीसरी बार चुनकर आया हूँ। मैं बहुत कूलली सबकी चर्चा सुनता हूँ, देखता हूँ और सारी चीजों का अध्ययन भी करता हूँ। मैं किसी की आलोचना, समालोचना करने में विश्वास नहीं करता। यह जाहिर है कि संसद में हर व्यक्ति की सोच अलग-अलग होगी, विचार अलग-अलग होंगे और बोलने का तरीका अलग-अलग होगा। मुझे नहीं मालूम कि अगर हम सब लोगों के भाषण से देश में आर्थिक विकास हो जाए या देश प्रगति की ओर जाए, तो हम अभी तक उसे कहां तक ले आए हैं। इसलिए मुझे किसी के भाषण की ओर नहीं जाना है। जो वास्तविकता है, उसे देखना है। अगर पोलिटिकल पार्टीज़ के विचार आज जिन्दा हैं तो कहां तक हैं, इसे देखना होगा। हम देखते हैं कि जिस

देश में शोषलिज्म के नाम पर, कम्युनलिज्म के नाम पर तर्का हुआ करती थी, उस देश में गरीब के बारे में सोचने वालों का विचार आज डिल्ट है। जिस तरह से इकोनॉमिक पालिसी बननी चाहिए, वह आज डिल्ट है। हमने पिछले एक दशक से देखा है कि किस तरह से कम्युनल फोर्सेज को भी लोगों ने नकारा है। आइडियलिज्म नाम की बात पोलिटिक्स में जिंदा नहीं रही। मैं नहीं कहता कि मेरी पार्टी में यह नहीं हुआ होगा, लेकिन हमने कहां तक अपने सैव्युलर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मेन्टेन किया है, इसका इतिहास साक्षी है। हम उससे भी ज्यादा बढ़कर हम मानववादी बनें। मैं कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार के पिछले कार्यक्रमों को अच्छी तरह से देख रहा हूँ कि एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच यूपीए सरकार की हर पालिसी में दिखाई दे रही है। हमने विद्यार्थी जीवन से ही आदरणीय प्रणव दा के जीवन का अनुभव देखा है। वे एक आर्थिक इकोनॉमिस्ट हैं। पता नहीं किस तरह से हमारे साथी, मित्र या हमसे कम उम्र के लोग उनको किरिसाइज करते हैं, यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर उनसे कोई बड़ा अर्थशास्त्री इस हाउस में है, तो मुझे नहीं मालूम कि वर्ल्ड की मेल्ट डाउन इकोनॉमिक सिचुएशन में वे किस तरह की अर्थनीति इस देश के लिए ला पाते। आज भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी हैं, जिनकी पालिसी फ्रेमवर्क, जिनकी नॉलेज के बारे में, पूरा वर्ल्ड जानता है कि वे एक वर्ल्ड लैवल के इकोनॉमिस्ट हैं। वे किस तरह से अपने देश की इकोनॉमी को फ्रेमआउट करेंगे, फिलॉसफी को फ्रेमआउट करेंगे, इस बात को भी तमाम वर्ल्ड जानता है। यूपीए सरकार के समय में कितनी कृतिवादी विचारधारा संविधान के अन्तर्गत लायी गयी। यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी किस तरह से मानवीय विचार, यहां आम आदमी की बात हो रही है, मैं आम आदमी पर आने के लिए यह बात रख रहा हूँ इसलिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है कि हमारी पार्टी के नेता लोग गरीब जनता को किस लैवल तक जाकर अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं और उन सारे अध्ययनों को लेकर अपनी पालिसी बनाने की बात कर रहे हैं।

अभी यहां गरीबी की परिभाषा कही गयी। सब जानते हैं कि मैं कालाहांडी क्षेत्र से आता हूँ। कालाहांडी मेरा संसदीय क्षेत्र है। इस कालाहांडी को मैंने पैदल ही नापा है। ऐसा नहीं है कि मैं वहां गाड़ी, घोड़ागाड़ी, हवाईजहाज या हेलीकॉप्टर में गया, मैं वहां पैदल गया हूँ। केवल कालाहांडी ही नहीं, बल्कि कालाहांडी के साथ-साथ पूरे उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों, महाराष्ट्र के पिछड़े इलाकों में विद्यार्थी जीवन से काम करता आया हूँ। आम आदमी की परिभाषा शायद मैं ठीक से जानता हूँ। मेरी परिभाषा में अगर आम आदमी को देखा जाये, तो आम आदमी जो कमाई करते हैं, आज हमारी सरकार, यूपीए सरकार इस पालिसी को, अर्थनीति को संसद में किसके लिए लेकर आयी है, इस बात की तरफ मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो लोग जंगल में लकड़ी संग्रह करके बेचते हैं, पता कलैक्ट करके बेचते हैं, फल-फूल और पेड़ों के रस को संग्रह करके बेचते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी आबादी इस देश में है। उनकी ट्रेडीशनल सोर्स ऑफ अर्निंग होती है। प्रकृति ने उनके लिए खाने की व्यवस्था कर दी है। लेकिन उनकी आमदनी क्या होती है? मैं इस बात को मानता हूँ कि उनकी आमदनी ज्यादा से ज्यादा पर डे 20 से 30 रुपये होगी और मैक्सिमम साल में 10 हजार रुपये से 60 हजार रुपये

तक होगी। दूसरे कैटेगिरी के लोग कौन हैं? जो एनआरजीएम में काम करते हैं, कृषि मजदूर का काम करते हैं, वे रोज सौ रुपये से ज्यादा कमाते हैं, तो उनकी आमदनी 12 हजार रुपये से 50-55 हजार रुपये तक पर ईयर होगी।

सबसे ज्यादा संख्या में लोग इन दो कैटेगरीज में हैं। उसके बाद की कैटेगरी में सेमी रिक्लड लेबरर्स लोग आते हैं, जो 35 से 70 हजार रूपए साल में कमाते हैं। उसके बाद रिक्लड लेबर लोग होते हैं, जिनको मिस्ट्री, टेक्नीशियन कहा जाता है, उन लोगों को 200 से 300 रूपए प्रतिदिन और 70 हजार से 1,50,000 सालाना आय होती है। इनके बाद छोटे कर्मचारी हैं, जिनमें कैजुअल लेबर, पियन, वलर्क, टीचर आदि होते हैं, इनकी बहुत व्यापक संख्या होती है। आप अगर इन सभी लोगों को जोड़ दीजिए, तो यही लोग 1,60,000 रूपए सैलरी के अंदर आते हैं। हमारी सरकार ने इन लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगाया। इस बात से जाहिर है कि जो 90 प्रतिशत लोग हैं, उन लोगों को क्या चाहिए? ये लोग इंसान हैं, उनको इंसानियत की जिंदगी चाहिए। इसके लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके रहन-सहन और जीवनयापन के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं मिलनी चाहिए। उनके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया, स्वास्थ्य का प्रावधान किया गया। हैल्थ के लिए 1,40,135 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है। यह एनडीए पीरियड से 227 प्रतिशत ज्यादा है। यह पैसा कहां से आएगा? उसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के बजट को पिछले साल के 19534 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 22300 करोड़ रूपए किया गया है।

आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य। देश के जिस 90 करोड़ गरीब और आम आदमी की बात हमारे विपक्ष के लोग करते हैं, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। इसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे मित्र संजय जी बता रहे थे कि 15,000 करोड़ रूपए खर्च हुए हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में 16 प्रतिशत की वृद्धि इस साल की है। कैसे इस पैसे की व्यवस्था की जाएगी अगर कुछ जगहों पर बढ़ोतरी नहीं की जाएगी? गरीब मरते हैं, बिना अनाज के लोग मरते हैं, उनको सब्सिडी नहीं दी जाए, तो गरीब जो सबसे कम कमाता है, कहां से पैसा लाएगा और चावल एवं गेहूं खरीदेगा? उसकी खरीदने की कैपिसिटी नहीं है, इसीलिए सब्सिडी देनी पड़ती है, इसीलिए फूड एनश्योर करना पड़ता है, इसीलिए 55,000 करोड़ रूपए की सब्सिडी देने की बात हमारी सरकार ने कही है। कृषि क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों में कांग्रेस की या यूपीए की सरकार नहीं है, इन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं, लेकिन ईस्टर्न एरिया में ग्रीन रिवोल्युशन के लिए, कृषि के विकास के लिए, रेनफेड एरिया में विकास के लिए भारत सरकार ने चार सौ करोड़ रूपयों का प्रावधान किया है। यह एक उपलब्धि है, इसमें राजनीतिक सोच नहीं होती है। इस एरिया में जो समस्याएं हैं, उनको दूर करके वहां समृद्धि लाने का यह एक प्रयास है, सतत प्रयास है, सचेत प्रयास है, यह साधु प्रयास है। आप हर चीज को राजनीतिक बातों पर कहकर, तर्क देकर नकार नहीं सकते हैं। जो ग्रीन रिवोल्युशन आलरेडी हुई है, अलग-अलग प्रोग्राम्स में उसको मॉटेन करने के लिए कृषि क्षेत्र में अभी 200 करोड़ रूपए दिए गए हैं। किसानों के क्रेडिट के लिए 3,75,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है और उन्हें अपने कर्ज चुकाने के लिए छः महीने का और समय दिया गया है। किसानों के सम्बन्ध में जो सरकार की सोच है, यह प्रगतिशील विचारधारा की बात है, मानवीय विचारधारा है।

भारतवर्ष का निर्माण कैसे होगा, अगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डवलप नहीं किया जाएगा, तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए 1,73,552 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से रोड ट्रंसपोर्ट के लिए 13 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी की गई है और 950 करोड़ रूपए रेलवे के विकास के लिए अलाट किए गए हैं। इस तरह यदि देखा जाए तो हम पाएंगे कि हमारी सरकार इन्वैल्यूसिव डवलपमेंट की बात कर रही है।

सर्वेभवन्तु सुखीना सर्वेसन्तु निरामया

मा कश्चित् दुःख भाग भवत सर्वेभद्राणि पश्यन्तु।

हमारी सरकार की पूरी अर्थनीतिक एप्रोच इन्वैल्यूसिव ग्रोथ है और उसके लिए ईमानदारी से हमारे वित्त मंत्री जी ने उसे सदन में पेश करने का काम किया है।

आज जिन बातों की चर्चा यहां होती है, तनाव की स्थिति आ जाती है तो कभी-कभी मुझे लगता है कि यहां शत्रुता का वातावरण बनने की परिस्थिति पैदा हो गई है। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता है और मैं सोचता हूं कि हमारे मित्त्व क्यों ऐसी बातें करते हैं। सबको सरकार बनाने का मौका मिला है और अपनी नीतियां बनाकर राष्ट्र को मजबूत बनाने का मौका मिला है। कौन कितना कर पाया, कौन नहीं कर पाया, इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

मैं वलोज़ली वॉच कर रहा हूं, मैं इस सदन में तीसरी बार चुनकर आया हूं और मैं बहुत कम बोलता हूं। लेकिन मैं दिल से कह रहा हूं कि यूपीए सरकार ने जो कृत्रिमकारी कदम उठाए हैं, यह केवल मानवीय सरकार ही उठा सकती है, दूसरी अन्य कोई सरकार नहीं उठा सकती। सदन में बातें करने वाले बहुत हैं। मैंने सबके साथ काम किया है और सबकी राजनैतिक सोच मैं जानता हूं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि मेरे और आपके भाषणों से ही राष्ट्र मजबूत नहीं होगा।

इस राष्ट्र में जो खामियां हैं, इतनी योजनाओं के बावजूद, इतनी पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद, सरकार की मानसिकता और योजनाएं बनाने वालों की मानसिकता के बावजूद इस राष्ट्र में वह माहौल नहीं बन पाया, क्योंकि जो नौकरशाही है, जो काम करने वाली है, वह सही रूप से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाई है। हमने संसद के माध्यम से जिन योजनाओं को बनाया, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पाया है। इसलिए हम सभी को एक उचित माहौल बनाना चाहिए राष्ट्र के निर्माण के लिए ताकि हर योजना कामयाब हो और हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। इन्हें बातों के साथ मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI NARAHARI MAHATO (PURULIA): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for having given me an opportunity to participate in the discussion on the Finance Bill.

Many hon. Members of this august House have taken part today in the discussion on the Finance Bill.

Sir, we are all aware about the Finance Bill. We all had earlier participated in the discussion and raised our concerns about the Finance Bill. It is not a new issue.

In the last six years, whenever there was a discussion on the Budget, there was a mention of tax system.

Sir, the Finance Bill imposes service tax on immovable property. I would request the hon. Finance Minister, through you, Sir, to reconsider the tax structure.

Sir, infrastructure of finance generates considerable backward and forward linkage. Hence, its development is central for the growth of the other sectors of the economy. Expenditure of the Central Government on social services including rural development has increased. The administration of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act provides for the responsibility of the Central Government to ensure the intergenerational equity in fiscal management and long term macro economy stability by achieving sufficient revenue surplus and removing fiscal impediments in the effective conduct of the monetary policy in a medium-term framework.

Sir, in his Budget Speech the hon. Finance Minister announced establishment of mechanism to support the project development expenditure, to accelerate the process of project preparations. The Central assistance should be provided to the State Government for implementation of various State Plan schemes apart from normal Central Assistance Funds, which are provided to the State Governments under various regular Plan schemes.

There is no doubt that the prices of each and every commodity has increased by more than double in the last six months. On this issue, the UPA is sitting silently. I would not talk about the price rise here. But I would like to bring to the attention of this august House some other important points. Today, our country contributes to the highest percentage – even more than that of the poorer countries like Nigeria and other South African countries – in case of malnutrition. Even our neighbouring country, Bangladesh contributes to only five per cent of malnutrition whereas our country, India, contributes to 45 per cent malnutrition. Malnutrition is not only adhered to children, it has affected the whole of our poor population.

Sir, malnutrition is a major problem. Many States are suffering from it. In my State of West Bengal, particularly, Purulia, Jalpaiguri, Coochbehar, West Midnapore, there is a huge population of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. They are working as bidi workers or they working in tea gardens and factories. Their average monthly income is less than Rs. 1,500. Today, the market is same for all, be it me, you, people working here, people working in private sector, people working as labourers, riksha pullers, farmers etc. How can we expect that the poor people who are earning less than Rs. 1,500 per month can get the same food that we are taking? They would suffer from malnourishment. The only cause is the price rise and nothing else.

Therefore, the Government should think in this regard. They should control the prices of commodities at any cost. When we are talking about achieving the double digit growth, the Government should implement all the schemes at the ground level. They should all be corruption free. Then only we can think to save our face by bringing this 45 per cent malnutrition to zero per cent.

Sir, even after 63 years of Independence, the gap between rich and poor is widening day by day. Yesterday, *Bharat Band* was held for 12 hours on the issue of price rise. The *Band* was a great success, which was held against the Financial Policy of the UPA-II Government.

On behalf of my party, All India Forward Bloc, I oppose the Finance Bill and conclude my speech.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति जी, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान वर्ष 2005 में जो घोषणाएं की गयी थीं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ फाइनेंस बिल पर अपने आपको रेस्ट्रिक्ट करूँगा। फाइनेंस बिल में जो उपबंध और प्रोविजंस होते हैं, उन तक ही मैं अपने आपको रेस्ट्रिक्ट करूँगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान वर्ष 2005 में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा बजट में जो घोषणा की गई थी, उसकी ओर दिलाना चाहता हूँ। इस देश में वैट (वैल्यू एडिड टैक्स) लागू होने की बात हुई और उस समय इसी सदन में 2005 में घोषणा की गई थी कि वैट जैसे ही लागू होगा, हम सीएसटी को समाप्त कर देंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि वैट लागू हुए बहुत समय हो गया, परंतु आज भी सीएसटी समाप्त नहीं हुआ है। देश में दो परसेंट की दर से सीएसटी आज भी प्रचलित है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो घोषणा 2005 में सदन में हुई थी, वह पूरी होनी चाहिए और चूंकि वैट लागू हो गया, इसलिए सीएसटी जीरो स्लैब पर आना चाहिए। यह बात मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ।

मैं जो दूसरी बात कहना चाहता हूँ, वह इंकम टैक्स स्लैब के बारे में है। यह बात चर्चा में काफी आ गई है, लेकिन मैं इसे थोड़ा रिपीट इस सेंस में करना चाहता हूँ कि अभी यह बात आई थी कि हम UPA नवतावादी दृष्टिकोण या ह्यूमैनिटेरियन ग्रूंड्स को ध्यान में रखकर नीतियां बनाते हैं और एक लाख साठ हजार से नीचे जिनकी इंकम है, उनके बारे में हमने ज्यादा सोच-विचार किया है। यह बात ठीक है कि जो एक लाख साठ हजार पर एनम की इंकम वाले लोग हैं, उन पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन क्या एक लाख साठ हजार से दो लाख पचास हजार तक इंकम करने वाले लोग मानवता की श्रेणी में नहीं आते? मैं कैटेगोरिकली जानना चाहता हूँ कि वे भी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और इस देश में जो विभिन्न कारपोरेशंस हैं, उनके कर्मचारी हैं। वे भी अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें भी रिलीफ दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक लाख साठ हजार से तीन लाख तक पहले स्लैब दस परसेंट था और उन्हें नौ हजार रुपये तक का टैक्स देना पड़ता था। अब भी इसमें एक लाख साठ हजार से तीन लाख तक वही दस परसेंट का स्लैब रखा है और उसमें नौ हजार रुपये टैक्स अभी भी देना पड़ता है। इसलिए जिनकी इंकम दो लाख पचास हजार से नीचे है, उन्हें इस बजट में कोई लाभ नहीं हुआ और यदि इस स्लैब से ऊपर चलते हैं तो ढाई लाख से पांच लाख वालों को 25 हजार रुपये तक का लाभ हुआ और जिनकी सालाना इंकम पांच लाख से आठ लाख रुपये तक है, उन्हें लगभग 55 हजार रुपये का लाभ हुआ। इस तरह से आपने ऊपर वालों को ज्यादा लाभ दिया और जिनकी इंकम कम थी, उन्हें कम लाभ दिया। यह बात मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यह जो विसंगति है, इसे दूर करने की जरूरत है। यदि आप लाभ देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ऊपर की इंकम वालों को लाभ कम देना चाहिए और जिनकी इंकम कम है, उन्हें ज्यादा लाभ देना चाहिए। लाभ देने समय यदि आप ऐसा सोचते तो आप ज्यादा मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते।

इसके अलावा मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपने फाइनेंस बिल में 44 एबी सैवशन का संशोधन किया, इसमें कम्पलसरी ऑडिट का प्रावधान है। 1 जून, 1984 से यह सीमा चालीस लाख थी और जिसे आपने बढ़ाकर साठ लाख कर दिया। 26 सालों के बाद यह सीमा बढ़ी, 26 सालों के बाद सरकार को ध्यान आया कि इसमें सीमा बढ़नी चाहिए। वित्त मंत्री जी इंकम टैक्स का जो इंप्लेज का फॉर्मूला है, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। 1981 का जो इंडेक्स है, उसके आधार पर आईटी डिपार्टमेंट इंप्लेज का एक फॉर्मूला तय करता है।

मान लीजिए वर्ष 1981 में 100 इंडेक्स था तो वह 2010 में इन्हीं के फॉर्मूले के आधार पर 652 आता है। अगर उसका इंप्लेजमेंट रेट जोड़ें तो वह 6.5 परसेंट आती है। यह I.T. की जो पॉलिसी है, इसे ये लांग टर्म कैपिटल गेन इंप्लेजमेंट का फॉर्मूला कहते हैं। इसके आधार पर यह 6.5 परसेंट आती है। इन्होंने 26 साल बाद इसमें अमेंडमेंट किया और उसे 40 लाख से बढ़ाकर 60 लाख किया। अगर हम उसे देखें तो यह रेट 1.5 परसेंट आती है। जब आई.टी. डिपार्टमेंट इंप्लेजमेंट के लिए फॉर्मूला तय करता है, तब तो यह रेट लेता है और जब किसी को छूट देने की बात आती है तो वह अपने फॉर्मूले से ही मुंह मोड़ लेता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इंप्लेजमेंट रेट का जो फॉर्मूला आई.टी. डिपार्टमेंट में लांग टर्म कैपिटल गेन के तहत लागू करते हैं, वही फॉर्मूला धारा 44(एबी) में अमेंडमेंट करते समय लागू करना चाहिए। यह जो 60 लाख की सीमा है, यह कम है। उस फॉर्मूले के अनुसार यह सीमा 2.5 करोड़ पड़ती है। यह सीमा 2.5 करोड़ होनी चाहिए थी, अगर आप इसे 2.5 करोड़ नहीं कर सकते तो कम से कम 1 करोड़ तो कर दीजिए। यह डिमांड बहुत से गुणों से आ रही है। आपने 26 साल बाद इसके बारे में सोचा, यह अच्छी बात है और मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बारे में सोचते समय आई.टी. डिपार्टमेंट का जो लांग टर्म कैपिटल गेन का जो फॉर्मूला है, उसे ध्यान रखना चाहिए था। यह 6.5 परसेंट के अनुसार बढ़नी चाहिए थी। यह बढ़ी नहीं है, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि अगर आप इसे 2.5 करोड़ नहीं कर सकते तो कम से कम इसे एक करोड़ करने की व्यवस्था करें, इसे 60 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने की बात करें, जिससे स्मॉल बिजनेसमैन, हम एसएसआई की बात करते हैं, छोटे लघु उद्यमों की बात करते हैं, उन्हें इसमें लाभ मिल सके। मैं यही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, यह बहुत जरूरी है और इसके बारे में बहुत कम चिंता की जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक आई.टी. ट्रिब्यूनल है। इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से जो लांग पेंडिंग लिटीगेशन आई.टी. में करीब एक लाख के आसपास है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करता हूँ कि क्या ट्रिब्यूनल में मेंबर पूरे हैं, ट्रिब्यूनल की कितनी शाखाएं हैं और वे कहां-कहां स्थापित हैं? अगर ऐसे मामले ज्यादा आ जाते हैं तो जैसा कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिस्टम आया है। इससे कोर्ट के मामले जल्दी डिस्पोजल होने लगे हैं। क्या आई.टी. ट्रिब्यूनल में भी फास्ट ट्रैक जैसा कोई सिस्टम लागू करेंगे, अगर इसे लागू करेंगे तो एक लाख के आसपास जो पेंडिंग मामले हैं, उनका जल्दी डिस्पोजल होगा और लोगों को सीए के भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आई.टी. डिपार्टमेंट में भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ज्यूडिशरी ने अपने को जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो यह जो आई.टी. ट्रिब्यूनल है, इसमें जो छोटे बिजनेसमैन हैं या जो छोटे उद्यमी हैं, जिनके मामले I.T. ट्रिब्यूनल में बहुत लंबे समय से पेंडिंग हैं, उन्हें लाभ मिल सकता है।

18.00 hrs.

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, how much time more do you want?

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, I need five to six minutes more and not more than that.

MR. CHAIRMAN : Please try to complete in two to three minutes. Then we will take up 'Zero hour'.

...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : The time is extended till the hon. Member completes his speech. Shri Meghwal, please try to complete early.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, हिमाचल और उत्तराखण्ड की टैक्स होलीडे की छूट समाप्त कर दी गई है, जबकि जम्मू-कश्मीर की बढ़ा दी गई है, जे एण्ड के में छूट बढ़ाई गई, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हिमाचल और उत्तराखण्ड भी जे एण्ड के की तरह पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसकी भी छूट बढ़नी चाहिए थी। लेकिन इसी के साथ मैं यह जोड़ना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोग दुर्गम स्थानों में रहते हैं, डिफिकल्टीज़ में रहते हैं, उसी प्रकार से रेगिस्तानी लोग भी डिफिकल्टीज़ में रहते हैं, रेगिस्तान में दूर-दूर तक गांव नहीं होते हैं। मैं बीकानेर से आता हूँ। राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट रेगिस्तान है। यहां निवेश बहुत कम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी अपील करता हूँ कि राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के लिए कोई स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड का टैक्स होलीडे बढ़ाया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

महोदय, मैं कई बिज़नेस एसोसिएशन्स में रहा हूँ और आईएस आफिसर के तौर पर भी उनमें गया हूँ। उनके अधिकतर लोगों की राय है कि आयकर की तीस प्रतिशत की स्लैब को 25 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। इससे रेवेन्यू ज्यादा आएगा। इस पर आपको विचार करना चाहिए।...(व्यवधान)

महोदय, मेरा अंतिम प्वाइंट है कि आपने एसैसमेंट के लिए तो ई-फाइलिंग लागू कर दिया है, लेकिन रिफण्ड के लिए ई-रिफण्ड नहीं किया गया है। आयकर विभाग में रिफण्ड के केसेज बहुत लंबे समय से लंबित पड़े हैं। मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार से आपने एसैसमेंट के लिए ई-फाइलिंग सिस्टम को लागू किया है, उसी प्रकार से ई-रिफण्ड सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट पर एक स्टडी आयी थी कि रिफण्ड के लिए लोगों को विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए ई-फाइलिंग के साथ-साथ ई-रिफण्ड का सिस्टम लागू करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
